



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
Office of the Auditor General

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महानिर्देशनालय

Phone: 4258174

4266034

4255707

A.G. Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

मिति: २०७५/१२/२९

पत्र संख्या: २०७५/७६

च.नं.

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

श्री प्रमुखज्यू/अध्यक्षज्यू,
नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम त्यस कार्यपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोजिम कारवाहीको लागि अनुरोध छ ।

(सुवर्णप्रसाद ढकाल)

नायब महालेखापरीक्षक

महालेखापरीक्षकको सन्देश

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १० बमोजिम पूर्णस्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ। लेखापरीक्षणको क्रममा ऐनको दफा ४ बमोजिम महालेखापरीक्षकले ती निकायको एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के वा केही प्रतिशतमात्र परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी लेखापरीक्षण गर्न, त्यसबाट प्राप्त तथ्य दर्शाउन, आलोचना गर्न र आर्थिक विवरणउपर रायसहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।



टंकमणि शर्मा, दंगाल
महालेखापरीक्षक

यस वर्ष ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७४७ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी देखिएका व्यहोराको सारांश महालेखापरीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत समावेश गरिएको छ। ६ वटा स्थानीय तहको लेखा सेस्ता पेश नभएकाले लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन सकेन। आर्थिक कारोबार, वित्तीय व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन, कानूनको पालना सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधार र असुल फछ्यौट गर्नुपर्ने विषय समावेश गरी प्रत्येक स्थानीय तहलाई बेग्लाबेग्लै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाएको छु। लेखापरीक्षणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, लेखापरीक्षण मानदण्ड, निर्देशिकाबमोजिम प्रचलित ऐन, कानून, निर्णय समेतका आधारमा परीक्षण मूल्याङ्कन गरिएको छ। प्रदेश र जिल्ला स्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, लेखाउत्तरदायी अधिकृत तथा अन्य पदाधिकारीबाट प्राप्त सूचना र सुझावलाई प्रतिवेदन तयार गर्दा ध्यान दिइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को स्थानीयतहको लेखापरीक्षणबाट मूलतः पारित भएका कानूनहरु स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको, दरबन्दी बमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नभएको, प्रदेश कानूनले तोकेभन्दा फरक/विपरीत पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा भुक्तानी गरेको, योजना छनौट, सञ्चालन र भुक्तानीमा समस्या देखिएको, वितरणमुखी र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको, आन्तरिक आय तथा राजस्व सङ्कलन व्यवस्थित नदेखिएको, आन्तरिक आयको तुलनामा अत्यधिक प्रशासनिक खर्च भएको, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित नभएको, वित्तीय जवाफदेहिताको स्तरमा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता व्यहोराहरु रहेका छन्।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) अनुसार महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपछि अलग अलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने र ऐनको दफा २०(३) मा स्थानीय तहको प्रचलित कानूनबमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएका व्यहोरा उपर छलफल गरी टुङ्गो लगाउँदा लेखापरीक्षणको मूल्य मान्यता एवं स्वार्थ बाझिने व्यवहार नहुने आस्वस्ततासँगै स्थानीय तहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको अपेक्षा गर्दछु। यो स्थानीय तहको सम्बन्धमा दोस्रो प्रतिवेदन हो। संघीय प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहमा सार्वजनिक स्रोतको समुचित उपयोग गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कार्यलाई उत्कृष्ट नमूनाको रूपमा सञ्चालन गर्न अवसर प्राप्त भएको छ। यद्यपी नयाँ संरचनामा भौतिक, वित्तीय तथा जनशक्ति अभाव जस्ता चुनौति र समस्याका कारण अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको देखिँदैन। त्यसैले प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्यहोरा र सुझावहरुको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको शासकीय व्यवस्था सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।

अन्त्यमा, संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सुझाव दिई सहयोग गर्ने स्थानीय तहका प्रमुख, उप-प्रमुख, लेखाउत्तरदायी अधिकृतहरु लगायत नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै, अहोरात्र खटिई समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्न योगदान गर्ने कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महा-निर्देशनालय

पत्र संख्या:

मिति: २०७५।१२।१२

श्री प्रमुखज्यू,
कमलवजार नगरपालिका,
अछाम ।

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

यस कार्यालयबाट सांफेवगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को पेश भएका वित्तीय विवरण र सोसँग सम्बन्धित कागजातको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन पक्षको जिम्मेवारी - आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ तथा प्रचलित कानून तथा अभ्यास अनुरूप लेखा राख्ने र राख्न लगाउने, लेखा विवरण तयार गर्ने गराउने कार्यका साथै आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने तथा प्रस्तुतीकरण गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापन पक्षको रहेको छ ।

लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी - प्रस्तुत वित्तीय विवरणहरु उपर लेखापरीक्षणको आधारमा राय व्यक्त गर्नु लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी हो । लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेको सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड र अन्य मार्गदर्शन तथा अन्य प्रचलित कानूनको आधारमा गरिएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका प्रमाणहरु लेखापरीक्षण राय व्यक्त गर्ने आधार उपलब्ध गराउन पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

कैफियत सहितको लेखापरीक्षण राय व्यक्त गर्ने आधार - कैफियत सहितको लेखापरीक्षण राय व्यक्त गर्ने आधारका रूपमा सञ्चित कोष विवरणमा सारभूत असर पार्ने व्यहोराहरु निम्नानुसार छन् :

१. लेखापरीक्षणबाट रु.१ करोड ३७ लाख ४३ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.१५ लाख ७२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.२५ लाख ९१ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.४४ लाख ५१ हजार र पेशकी रु.५१ लाख २९ हजार रहेको छ ।
२. आमदानी तथा खर्चको स्रेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुन सकेन ।
३. लेखापरीक्षणमा देखिएका व्यहोराहरुका सम्बन्धमा मिति २०७५।६।१ मा जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रतिक्रिया सहितको प्रमाण कागजात पेशहुन नआएकोले बेरुजू फल्ट्यौट नभइ कायम भएको व्यहोराको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पाना १७ यसै साथ संलग्न छ ।

कैफियत सहितको लेखापरीक्षण राय - कैफियत सहितको लेखापरीक्षण रायले त्यहाँको सञ्चित कोष विवरणमा पर्ने असर र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराहरु बाहेक आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को आर्थिक कारोबार, लेखा तथा प्रतिवेदन आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र नियमावली, २०६४ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा प्रचलित कानूनबमोजिम रहेको छ ।

(सुवर्णप्रसाद ढकाल)
नायब महालेखापरीक्षक

**कमलवजार नगरपालिका, अछाम,
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
२०७४।०७५**

परिचय: स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायीक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न र स्थानीय सरकारको संचालन गर्न नगरपालीकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने हरेक कार्यमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई लाभको वितरणमा सुलभ र गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्नु यस स्थानीय तहको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवस्थित यस नगरपालीका अर्न्तगत १० वडा, ५५ सभा सदस्य, २२०.७८ व.की.मी.क्षेत्रफल र २३७३८ जनसंख्या रहेको छ ।

स्थानीय संचितकोष: स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोजिम नगरपालीकाले प्राप्त गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र स्थानीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७४।०७५संचालन भएका कार्यक्रमहरुको आयव्यय हिसावको को समग्र संचित कोषको संक्षिप्त अवस्था निम्न वमोजिम रहेको छ ।

| सि.नं. | आयतर्फ | | | सि.नं. | व्ययतर्फ | | |
|--------|--------------------------------|-------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|--------------|
| | विवरण | रकम | रकम | | विवरण | रकम | रकम |
| १ | गत वर्षको जिम्मेवारी | | १६१४०८७८.३७ | १ | वित्तीय समानीकरण | | १८२६८०४४८.७७ |
| | क) नगद | ०० | | १.१ | चालु खर्च | २५८५५००८.७७ | |
| | ख) बैंक | १६१४०८७८.३७ | | १.२ | पूँजीगत खर्च | १५६८२५४४०.० | |
| २ | राजस्व (आन्तरिक आय) | | ४७३५९४९.७१ | २ | वित्तीय व्यवस्था भुक्तानी | | १९२०८७९७६.७० |
| | क) आन्तरिक राजस्व | | | २.१ | क) शशर्त अनुदान | १२३४४६१२२.७० | |
| | ख) राजस्व बाँडफाँड | | | २.२ | ख) संधिय सरकार | ६७१४१८५४.०० | |
| | ग) अन्य आय | ४७३५९४९.७१ | | ३ | (ग) जि.स.स. वाट | १५०००००.० | |
| ३ | वित्तीय हस्तान्तरण | | ३१५४७९७९६.०० | ४ | कोष खर्च (आन्तरिक) | | २०६९१२.०० |
| | क) वित्तीय समानीकरण अनुदान | | | ५ | लगानी | | ०० |
| | ख) शशर्त अनुदान | १२३७६२७९६.० | | ६ | मौज्दात (संचित कोष) | | ३७६४३९९.६१ |
| | ग) समपूरक अनुदान | १९१७७०००.० | | ६.१ | वित्तीय समानीकरण | २४८६११९२.०७ | |
| | घ) विशेष अनुदान | | | ६.२ | शशर्त अनुदान | ३१६६७३.३० | |
| ४ | प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान | | ४७५०००.० | ६.३ | आन्तरिक स्रोत | ४५२९०३७.७१ | |
| | सशर्त अनुदान | ४७५०००.० | | ६.४ | प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण | ४७५०००.० | |
| ५ | संधिय सरकारबाट हस्तान्तरण | | ७३८०८११३.० | ६.५ | सडक बोर्ड नेपाल | २२०९१८४.० | |
| ६ | जि.वि.स.बाट हस्तान्तरण | | १५०००००.० | ६.६ | सामाजिक सुरक्षा | ५७३४००.० | |
| | | | | ६.७ | यूनिसेफ | ३८८३६७५.० | |
| ७ | विभिन्न कोषतर्फको आय | | | ६.८ | कर दाखिला बाँकि | ३१६२३७.५३ | |
| | जम्मा | | ४१२१३९७३७.०८ | | जम्मा | | ४१२१३९७३७.०८ |

| बे.द.नं. | लेखापरीक्षणबाट देखिएका ब्यहोरा | रकम |
|----------|--|-----|
| १. | बैंक हिसाब- कार्यालयको बैंक खाता हिसाव र बैंक हिसाव एक आपसमा भिडान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयको यसवर्षको आम्दानी रु.४१,२१,३९,७३७।०८ र खर्च रु.३७,४९,७५,३३७।४७ मौज्दात धरौटि बाहेक रु.३,७१,६४,३९९।६१रहेको छ । गत वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बैंक मौज्दात रु.१७२४०००३।७२ भन्दा यस वर्ष रु.४,००,८७४।६५थप जिम्मेवारी सारी रु.१,७६,४०,८७८।३७ कायम गरेको छ । कार्यालयले बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार नगरेको कारण गत वर्षको मौज्दात फरक देखिएको र यस वर्षको मौज्दात पनि भाद्र ३ सम्मको लिड मौज्दात भिडान गरेको छ । यसबाट नगरपालिकाको २०७५ आषाढ मसान्तको वास्तविक हिसाव नदर्शाउनेहुदा आम्दानी, खर्च, बैंक मौज्दात, | |

| | | |
|----|--|--|
| | नगद मौज्दात र कर दाखिला बाँकी विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तमा भिडान गरी गरी बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गर्नुपर्दछ । | |
| २. | वार्षिक खरिद योजना/ गुरुयोजना - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमा भन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ ले वार्षिक १० करोड भन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरु योजना तयार गर्नुपर्ने नियम ८ ले वार्षिक १० लाख भन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यस नगरपालिकाले वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत वार्षिक रु १३ करोड ४ लाख १२ हजार को पूँजीगत खर्च/खरिद कार्य गरेको छ । तर पालिकाले आफ्नो खरिद ऐन नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना नबनाई खरिद कार्य गरेको छ । अतः यस नगरपालिकाले उक्त नियमावली बमोजिम खरिद योजना/ गुरुयोजना बनाई व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ । | |
| ३. | खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधि: स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम सभावाट वजेट स्वीकृत भएको सात दिन भित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई वजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यस नगरपालिका २०७४ भाद्र ६ गते बसेको नगर सभाबाट वार्षिक वजेट र नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेकोमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ वजेट कार्यान्वयनको लागि अख्तियारी प्रदान गर्ने गरेको छैन । अतः स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोजिम वजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । | |
| ४. | वजेट पारित - : स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई आषाढ १० गते भित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आय व्ययको अनुमान साथ गत वर्षको वास्तविक आय व्यय , चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आय व्ययको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण सभामा पेश गरि १५ दिन भित्र छलफल सम्पन्न गरी आषाढ भित्रनै पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यस नगर पालिकाको २०७४ भाद्र ६ गतेको नगर सभाबाट आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको विवरण सभामा पेश गरि पारित गरेको छ । ऐनले तोकेको अवधी भित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरिनु पर्दछ । | |
| ५. | आन्तरीक नियन्त्रण प्रणाली: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी , नियमितता र दक्षतापूर्ण ढंगबाट सम्पादन गर्न र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनिय बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाईएन । अतः ऐन बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने पर्दछ । | |
| ६. | आन्तरिक ऋण: स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम नगरपालिकाले वित्त आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित सभावाट स्वीकृत गरी उत्पादनशिल, रोजगारमुलक , आन्तरिक आयवृद्धि तथा पूँजीगत कार्यका लागि आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । यस नगर पालिकाले यो वर्ष स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोजिम कुनै किसिमको ऋण लिएको देखिदैन । नगरपालिकाको आर्थिक अभिवृद्धिको लागि श्रोत ब्यवस्थापनमा आवश्यकता अनुसार आन्तरिक ऋण समेत लिई सोको उचित प्रयोग गरिनु पर्दछ । | |
| ७. | स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख: स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको आधारभुत तथ्याक संकलन , अभिलेख र सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस नगर पालीकाले स्थानीय तथ्याक सम्बन्धी नीती , कानून र सोको मापदण्ड बनाएको छैन । स्थानीय तहका हरेक प्राथमिककरणका क्रियाकलाप संचालनमा तथ्याकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अभिलेख राख्ने कार्यमा भुमिका अगाडि वढाउन आवश्यक छ । तथ्याक वेगर प्राथमिकतामा | |

| | राखिएका योजना, बजेट, प्रक्रिया र कार्यावन्त्यनले उचित सार्थकता नपाउने हुदा यस तर्फ नगरपालिकाले अभिलेख व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------|---------|---|----------|----------|----|---|----|-------|-------|----|---|---------------|-----------|----|----|----|------|------|----|--|
| ६. | लक्ष्य प्रगतिको स्थिति -आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २५ मा चौमासिक प्रगती विवरण पेश गर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट सञ्चालन गरेका स्थानीय स्तर, जिल्ला स्तरिय तथा केन्द्रिय स्तरिय आयोजनामध्ये सबै आयोजनाको उपर्युक्त नियम बमोजिमको ढाँचामा प्रगती विवरण पेश हुन आएन । अतः नियमावली बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक लक्ष्य तथा प्रगती विवरण तयार गर्नु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९. | चौमासिक खर्च -आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम स्विकृत भएको कार्यक्रममा नियम २५ बमोजिम चौमासिक प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्ने र चौमासिक लक्ष्य तथा कार्यक्रम बमोजिम कार्यसम्पादन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रथम चौमासिकमा रु.१,५८,९२,४०८।० अर्थात ९.८१ प्रतिशत, दोश्रो चौमासिकमा रु २,८४,३०,९३१।० अर्थात १७.५५ प्रतिशत र तेश्रो चौमासिकमा रु.१,५०,१६,५४९।० अर्थात ९.२७ प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ । यसरी नै आषाढ महिनामा रु.७,७२,६५,०४५।०, अर्थात ४७.७१ प्रतिशत खर्च गरेकाले आषाढमा खर्चको चाप बढेको छ । रकम खर्च गर्दा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटलाई तोकिए बमोजिम खर्च गर्ने कार्यक्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्ने गरी सन्तुलित खर्चव्यवस्थापन हुनु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १०. | ठेक्का व्यवस्थापन - आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २०(३) अनुसार कार्यक्रम सूचारु रूपले कार्यान्वयन गराउन र निर्धारित समय भित्र कार्यसम्पन्न गर्न अन्य निकायसंग लिनुपर्ने सहयोग र स्वीकृत बारे पत्राचार र छलफल गर्ने कार्य तथा लागत अनुमान तयार गर्ने ठेक्का पट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य प्रथम चौमासिक अवधिमा समाप्त गरिसक्नु पर्दछ । तर यस नगरपालिका कार्यालय बाट यस वर्ष २ वटा ठेक्का सम्भौता गरेकोमा, २ वटै तेश्रो चौमासिकमा मात्र सम्पन्न गरेको देखिन्छ । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरूप समयमा ठेक्का पट्टा गरी समयमानै कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११. | खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को दफा २६(६) मा कुनै बोलपत्र दाताले आपसमा मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता बोलपत्रहरु प्रतिस्पर्धाको अभावले गर्दा रद्द हुने व्यवस्था रहेको छ । कार्यालयले यस वर्ष विभिन्न उप-आयोजनाको लागी खरिद कार्यका लागि बोलपत्र आहवान गर्दा देखिएको न्यून प्रतिस्पर्धाको स्थिति निम्नानुसार छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि(न)</th> <th>कार्यक्रमको नाम</th> <th>ठेक्का न)</th> <th>बोलपत्रवित्री संख्या</th> <th>बोलपत्र दाखिला संख्या</th> <th>बोलपत्र फितां संख्या</th> <th>लागतअनुमान</th> <th>स्वीकृत रकम</th> <th>प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>अफिस भवन</td> <td>१-०७४-७५</td> <td>१९</td> <td>९</td> <td>१०</td> <td>१५७१९</td> <td>१३८३२</td> <td>१२</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>आर(सि)सि(सडक)</td> <td>२-०७४-७४५</td> <td>२८</td> <td>१६</td> <td>१२</td> <td>८८०५</td> <td>५२८३</td> <td>४०</td> </tr> </tbody> </table> | सि(न) | कार्यक्रमको नाम | ठेक्का न) | बोलपत्रवित्री संख्या | बोलपत्र दाखिला संख्या | बोलपत्र फितां संख्या | लागतअनुमान | स्वीकृत रकम | प्रतिशत | १ | अफिस भवन | १-०७४-७५ | १९ | ९ | १० | १५७१९ | १३८३२ | १२ | २ | आर(सि)सि(सडक) | २-०७४-७४५ | २८ | १६ | १२ | ८८०५ | ५२८३ | ४० | |
| सि(न) | कार्यक्रमको नाम | ठेक्का न) | बोलपत्रवित्री संख्या | बोलपत्र दाखिला संख्या | बोलपत्र फितां संख्या | लागतअनुमान | स्वीकृत रकम | प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | अफिस भवन | १-०७४-७५ | १९ | ९ | १० | १५७१९ | १३८३२ | १२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | आर(सि)सि(सडक) | २-०७४-७४५ | २८ | १६ | १२ | ८८०५ | ५२८३ | ४० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२. | उपभोक्ता समिति छनौट - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा एक करोड सम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूदायबाट गराउन सक्ने र यसका लागि सम्बन्धित काम र सेवाको प्रकृति, परिमाण, लाग्ने रकम, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूदायबाट व्यहोर्ने वा व्यहोर्नु पर्ने रकम र अन्य आवश्यक कुराहरु खुलाई सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्न वा त्यस्तो समिति वा समूदाय आफैले प्रस्ताव वा निवेदन पेश गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर कार्यालयले यस वर्ष उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा संभौता बाहेक संभौता पूर्वका उक्त प्रकृया पालना गरेको कुनै कागजात तथा आधार पेश हुन आएन । यसबाट विकास निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समिति छनौटको आधार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक तवरले भएको देखिएन । यसबाट निर्माण कार्यको समय, लागत र गुणस्तरमा असर पर्ने हुँदा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूह छनौट गर्दा उक्त नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक तवरले गरिनु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|---|--|
| १३. | उपभोक्ता समिति : सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिबाट काम गराउदा सम्पन्न निर्माण कार्यको सञ्चालन उपभोक्ता समितिले गर्नु पर्ने, खर्चको सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने, निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, मेशीनहरू प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर कार्यालय वाट उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराउंदा तोकिएको जनसहभागिता कम गर्ने ,भुक्तानीमा आनुपातिक कट्टी नगर्ने जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गर्ने, योजना हस्तान्तरण नगर्ने खर्च सार्वजनिक नगर्ने जस्ता कानूनले तोकेका कार्य गरेको देखिएन । नियमावलीको कार्यान्वयन गर्ने गरी यसमा सुधार हुनु पर्दछ । | |
| १४. | खर्च अनुमोदन – सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(६) बमोजिम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्यांकन, विल भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने कागजात त्यस्तो समिति वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट संचालित आयोजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन भएका र विल भुक्तानीको लागि प्राविधिक मूल्यांकन पेश गर्ने गरेको भएतापनि अन्य विल भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने कागजातहरू तथा समितिबाट खर्च अनुमोदन गरेको प्रमाण र सार्वजनिक तथा सामाजिक लेखापरीक्षण गरी सोको प्रमाण पेश गर्ने गरेको छैन । नियमको प्रावधान बमोजिम कागजात पेश गर्न लगाई खर्च थप पारदर्शी बनाउने तर्फ कार्यालयले ध्यान दिनु पर्दछ । | |
| १५. | आयोजना हस्तान्तरण– सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(१२) को उपनियम ११ बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक निकायले सोको रेखदेख, मर्मत संभार गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकिएको आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट संचालित आयोजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन भएका आयोजनाहरू सम्पन्न भैसके पश्चात समितिलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा विगत वर्ष देखि संचालन गरिएका कुनै पनि योजना सम्बन्धित समुदायलाई मर्मत सम्भारको जिम्मेवार समेतको हस्तान्तरण गर्ने गरेको छैन । समयमानै निर्माण कार्य सम्पन्न गरि आयोजनाहरूको स्वामित्व उपभोक्ता समितिमै रहने गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्दछ । | |
| १६. | योजना कार्यान्वयन:- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउंदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरि प्राथमिककरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै योजना बनाउंदा मध्यम तथा दिर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूची समेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार दिर्घकालिन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूचि तयार गरेको पाईएन । योजना तयारी संबन्धी उक्त व्यवस्थाको पालना गरिनु पर्दछ । | |
| १७. | सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षण:- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी ,दिगो र भरपर्दो बनाउन कार्यक्रमको सामाजिक परीक्षण अर्न्तगत सार्वजनिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । योजनागत उपभोक्ता समिति भित्र सार्वजनिक सुनुवाई गरेको देखिएता पनि नगरपालिकाबाट सेवा प्रवाह संबन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परीक्षण भए गरेको पाईएन । ऐन अनुसार प्रत्येक कार्यक्रमको सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परीक्षण गराई खर्च पारदर्शिता गरिनुपर्दछ । | |
| १८. | गुणस्तर परीक्षण:- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले आपूर्ति गरेका मालसामान सम्भौतामा उल्लेखित प्राविधिक स्पेशिफिकेसन र गुणस्तर बमोजिम भए नभएको निरीक्षण वा परीक्षण गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट खरिद गरिएका ल्यापटप लगायत सवारी साधनको भुक्तानी गर्दा सामानको गुणस्तर परीक्षण गरेकोछैन । अतः ती सामानहरूको गुणस्तर संबन्धमा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । | |
| १९. | राजस्व अभिलेख : आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को परिच्छेद ४ दफा १२ र १३ ले राजस्वको अभिलेख अध्यावधिक गरी सोको लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहहरूबाट लेखापरीक्षणको क्रममा राजस्व आम्दानीको निर्णय देखि असुली तथा दाखिला सम्मका अभिलेख | |

| | | |
|-----|---|--|
| | व्यवस्थित गरी श्रेस्ता राखेको छैन । यसवाट स्थानीय तहको बास्तबिक राजस्व असुली र दाखिला एकिन हुन सकेन । यस स्थानीय तहवाट यसमा विशेष ध्यान दिई आन्तरिक आयको उचित अभिलेखाङ्कन तथा परिचालन गर्नुपर्दछ | |
| २०. | व्यवसाय कर- : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिबाट व्यवसाय कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस नगरपालिकाको कार्यालयले व्यवसायीहरूको लगत राखी राजस्व असुल गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूको लगत राखि उक्त लगत अद्यावधिक गरि लगतमा भएका सम्पूर्ण व्यवसायीहरूबाट कर रकम संकलन गरेको पाईएन । गांउपालिका क्षेत्र भित्रका व्यावसायलाई व्यवसायीको अभिलेख राखि करको दायराभित्र ल्याउनु पर्दछ । । | |
| २१. | विद्युतिय लेखा - : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा कारोवार को लेखा राख्नु पर्ने तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराई सवै नगरपालिकाहरूले Sub National Treasury Regulatory application (SUTRA) प्रयोग गरी लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस नगरपालिकाले आ.ब.२०७४।७५ मा Sub National Treasury Regulatory application (SUTRA) प्रयोग गरी लेखा राखेको पाईएन । लेखा अध्यावधिक गरि लेखा सूचना प्रणाली चुस्त दुरुस्त र छरितो बनाउन सुत्रको पूर्ण रुपमा प्रयोग गरिनु पर्दछ । | |
| २२. | सम्पत्ति हस्तान्तरण : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार विषयगत कार्यालयको चल अचल सम्पत्ति, दायित्व तथा अभिलेख त्यसरी कायम भएका गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । यसरी हस्तान्तरण हुने सम्पूर्ण सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत खाता २०७५ असार मसान्त भित्र स्थानीय तहले तयार गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा नगरपालिकाले सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत तयार नगरेको, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्य फर्निचर जस्ता मूल्यवान समानहरू जिम्मेवारी सार्ने गरेको पाईएन । नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिका भित्र रहेका स्वास्थ्य शाखा, कृषि शाखा तथा पशु शाखा लगायतको लागि खरिद भएका खर्च नहुने जिन्सी सामानहरू पनि नगरपालिकाको जिन्सी सम्पत्तिको मुल अभिलेखमा आमदानी जनाई शाखागत रुपमा सहायक लेजर राखी अभिलेख राख्नुपर्नेमा सो बमोजिम भए गरेको नपाईएकोले नगरपालिका भित्र रहेका सम्पूर्ण विषयगत शाखा र वडाकार्यालयहरू समेतमा रहेका जिन्सी सम्पत्तीहरूको अध्यावधिक अभिलेखीकरण गरी सम्पत्तीको संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी जिन्सी मालसामानको आमदानी नजनाउँदा जिन्सी मालसामानहरू हराउन, हिनामिना हुन सक्ने हुँदा खरिद गरिएका मालसामानहरूको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित जिन्सी खातामा आमदानी जनाई जिन्सी खाता अद्यावधिक गर्नुपर्दछ । | |
| २३. | सेवा प्रवाह :-सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ को दफा २५ मा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी निकायले सबैले देख्ने ठाँउमा कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नु पर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यक्षेत्रको विवरण ,सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयबधि र सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सो को विवरण , खुलाई नागरिक वडापत्र राख्नु पर्ने र सो बमोजिम सेवा प्रदान गरेको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गर्दा यस वर्ष २०५८ जनाको नागरिकता शिफारिश, २७३ जनाको नाता प्रमाणित ६२६७ व्यक्तिगत घटना दर्ता जस्ता सेवा प्रवाह गरेको छ ।तर यस वर्ष नगरपालिकाले घर बाटो शिफारिश सम्बन्धि सेवा प्रदान गरेको छैन । यसका साथै स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११मा उल्लेखित स्थानीय निकायको काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये अधिकांश सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने विषयमा निकायको सिमित जनशक्ति र पूर्वाधारका कारण प्रवाह गर्न सकेको छैन । अतः जनशक्ति र पूर्वाधारको विकास गरी निकायको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । | |
| २४. | कर्मचारी व्यवस्था : निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गांउपालिकामा रहने कर्मचारी दरवन्दी ४२ रहेपनि पदपूर्ति ४ मात्र रहेको देखियो । रा.प.द्वितीय अधिकृत | |

| | सहित ३८ पद रिक्त रहेका छन् । ति मध्ये ५ जना करारमा राखि कार्य संचालन गरिएको छ । जनशक्तिको अभावमा नगरपालिकाको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा समेत असर परेकोले दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गरिनु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|------|-------|------------------------------------|------------|-------------|----------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|--|--|--------------|------------------|--|
| २५. | कल्याण कोष :स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीले निजको सेवाशर्त तथा कानून बमोजिम अवकास हुँदा प्राप्त गर्ने योगदानमा आधारित उपदान, औषधिउपचार लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन अवकास कोषको स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले कार्यालयलाई कर्मचारी कल्याण कोषको लागि आवश्यक पर्ने रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार यस नगरपालिकाको सभाबाट बजेट विनियोजन गरी कर्मचारी कल्याणकोष खातामा ल्याएको पाईएन, यसो गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा निवृत्त हुँदा प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा असर पर्न जाने र भविष्यमा एकमुष्ट आर्थिक दायित्व पर्न जाने हुँदा आफ्नो नगरपालिका भित्रका कर्मचारीहरुको अवस्था समेतलाई मध्य नजर गरी कर्मचारी कल्याणकोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६. | भ्रमण प्रतिवेदन – भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम १८(१) बमोजिम भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण समाप्त भएपछि नियमानुसार पाउने दैनिक भ्रमण भत्ताको लागी भ्रमण खर्चको विलभरी भ्रमण प्रतिवेदनको साथ आवश्यक विल भरपाई सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयका कर्मचारीहरु आयोजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण गर्दा स्थलगत रुपमा पहिचान भएका समस्या,समाधानका लागि गरिनु पर्ने सुधार सहितको प्रतिवेदन लिई सुचारु रुपले आयोजना संचालन गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा भ्रमण विल मात्र भरी पेश गर्ने र भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगर्ने गर्दा उक्त कर्मचारी अनुगमन निरीक्षण भ्रमणमा गएको प्रमाण समेत पेश नहुने भएकोले भ्रमण प्रतिवेदन पेश गरी पछि मात्र भुक्तानी गर्ने एवं भ्रमण प्रतिवेदनमा उल्लेखित महत्वपूर्ण सुझावहरुको कार्यान्वयन समेत हुनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २७. | कन्टिन्जेन्सी खर्चको अभिलेख – सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गर्दा लागत अनुमानको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कन्टिन्जेन्सी खर्च समावेश गर्न सकिने र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयकोमिति २०७०/११५को निर्णय अनुसार पुँजिगत प्रकृतिको २ प्रतिशत र अन्य साना तिना खर्च ३ प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रत्येक कार्यक्रम खर्चबाट ५ प्रतिशत कटौत गर्ने गरेको देखिएतापनि सोको आयोजनागत कन्टेन्जेन्सी खर्चको अभिलेख खडा गरी राख्नु पर्नेमा सो राख्ने गरेको छैन । कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार यस वर्ष वित्तीय समानिकरणको पूँजिगत तर्फ विभिन्न योजनाको लागी १५ करोड ६८ लाख २५ हजार खर्च गरेकोमा आयोजनागत कन्टिन्जेन्सि खर्च खाता नराखी योजना अनुगमन तथा कार्यालय सामानमा रु ४४४२८९८।० खर्च गरेको देखियो । आयोजनागत कन्टिन्जेन्सी खर्च अभिलेख नराखेको कारण उक्त खर्च सीमा भित्र रहेको र पुँजिगत खर्च समेत भएको सुनिश्चित हुने आधार भएन । अतः नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम कन्टिन्जेन्सी खर्चको अभिलेख राखी कन्टिन्जेन्सि खर्चमा नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २८. | सशर्त अनुदान - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प.सं.०७४।७५ च.नं.१०६४ मिति २०७५।३३ को सशर्त अनुदान रकम फिर्ता सम्बन्धी विषयको पत्र अनुसार विभिन्न तीन किस्तामा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको र सशर्त अनुदानमा मुख्यतया शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि पशु पंक्षी मन्त्रालय लगायतबाट प्राप्त भएको रकम आषाढ मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा यस नगरपालिकाले रु.८,९०,०७३।०० खर्च नभई बाँकी रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरेकोले उक्त रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको रु. | ८९००७३।३० | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ब.उ.शि.नं. तथा कार्यक्रमको नाम</th> <th>निकास</th> <th>खर्च</th> <th>बाँकी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३६५०१५४३ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम</td> <td>५८४७३८००।०</td> <td>५७९००४००।००</td> <td>५७३४००।०</td> </tr> <tr> <td>८०१८४५३ स्वास्थ्य सशर्त अनुदान</td> <td>२७४०६३३२०००।०</td> <td>२७०८९६५८।७०</td> <td>३९६६७३।३०</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>८९००७३।३०</td> </tr> </tbody> </table> | ब.उ.शि.नं. तथा कार्यक्रमको नाम | निकास | खर्च | बाँकी | ३६५०१५४३ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम | ५८४७३८००।० | ५७९००४००।०० | ५७३४००।० | ८०१८४५३ स्वास्थ्य सशर्त अनुदान | २७४०६३३२०००।० | २७०८९६५८।७० | ३९६६७३।३० | | | जम्मा | ८९००७३।३० | |
| ब.उ.शि.नं. तथा कार्यक्रमको नाम | निकास | खर्च | बाँकी | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३६५०१५४३ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम | ५८४७३८००।० | ५७९००४००।०० | ५७३४००।० | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८०१८४५३ स्वास्थ्य सशर्त अनुदान | २७४०६३३२०००।० | २७०८९६५८।७० | ३९६६७३।३० | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जम्मा | ८९००७३।३० | | | | | | | | | | | | | | | |

| २९. | <p>खरिद कारबाही टुक्रा पारेको –सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र खरिद योजना अनुसार रु पांच लाख सम्मको लागत अनुमान भएकोमा सोभै, बीस लाख रुपैया सम्म लागत अनुमान भएको मालसामान, निर्माणकार्य वा जुनसुकै सेवा शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी र सो भन्दा बढि मूल्यको खरीद कार्य नियमावली को दफा ३१ बमोजिम बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कार्यालयले यस आ.ब. मा ३५ लाखका मेशिनरी सामान तथा फर्निचर सामान खरिद कार्यलाई प्रतिस्पर्धा छल्ने मनसायले कामलाई टुक्रा पारी विभिन्न ६ वटा फर्महरुबाट दरभाउपत्रका आधारमा मेशिनरी रु.१२६२४७२।० र फर्निचर रु १४८७३९४।० खरिद कार्य गरी रकम भुक्तानी गरेको छ। यसरी गरेको खरिद कार्य नियमित नभएकोले ऐन तथा नियमावलीको प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र खरिद कार्य गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ।</p> <table border="1" data-bbox="386 548 1260 926"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>भौ.नं. र मिति</th> <th>फर्मको नाम</th> <th>भुक्तानी रकम मु.अ.कर समेत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>३-२०७४-५-२९</td> <td>सुयोदय सोलार ट्रेडर्स धनगढी मेशिनरी सामान</td> <td>४०००००.०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>५-२०७४-५-२९</td> <td>होमटाउन ईन्टरप्राइजेज " "</td> <td>४५११०७.०</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>६-२०७४-५-२९</td> <td>उग्रतारा टेक्निकल गुडस सप्लायर्स " "</td> <td>४०७३६५.०</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>२-०७४-५-१५</td> <td>पोडशा ग्रिल तथा काष्ठ फर्निचर उद्योग फर्निचर</td> <td>४९९८९५.०</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>७-०७४-७-१४</td> <td>मनकामना ट्रेडर्स सप्लायर्स " "</td> <td>४८९१६९.०</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>५७-०७४-१०-१२</td> <td>फुलेश्वर फर्निचर उद्योग " "</td> <td>४९८३३०.०</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>२-०७५-२-२३</td> <td>उग्रतारा ट्रेडिङ हाउस " "</td> <td>५९७७८१.०</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>३३४३६४७.०</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.स. | भौ.नं. र मिति | फर्मको नाम | भुक्तानी रकम मु.अ.कर समेत | १ | ३-२०७४-५-२९ | सुयोदय सोलार ट्रेडर्स धनगढी मेशिनरी सामान | ४०००००.० | २ | ५-२०७४-५-२९ | होमटाउन ईन्टरप्राइजेज " " | ४५११०७.० | ३ | ६-२०७४-५-२९ | उग्रतारा टेक्निकल गुडस सप्लायर्स " " | ४०७३६५.० | ४ | २-०७४-५-१५ | पोडशा ग्रिल तथा काष्ठ फर्निचर उद्योग फर्निचर | ४९९८९५.० | ५ | ७-०७४-७-१४ | मनकामना ट्रेडर्स सप्लायर्स " " | ४८९१६९.० | ६ | ५७-०७४-१०-१२ | फुलेश्वर फर्निचर उद्योग " " | ४९८३३०.० | ७ | २-०७५-२-२३ | उग्रतारा ट्रेडिङ हाउस " " | ५९७७८१.० | | | जम्मा | ३३४३६४७.० | | | | | |
|--------|--|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------|---|-----------------------|----------|-------------|---------------------------|-----------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|---|------------------------|--|----------|---|--------------|-------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|------------|---------------------------|--------------|---|----------|----------|-----------|--|--|--|----------|----------|
| क्र.स. | भौ.नं. र मिति | फर्मको नाम | भुक्तानी रकम मु.अ.कर समेत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | ३-२०७४-५-२९ | सुयोदय सोलार ट्रेडर्स धनगढी मेशिनरी सामान | ४०००००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | ५-२०७४-५-२९ | होमटाउन ईन्टरप्राइजेज " " | ४५११०७.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | ६-२०७४-५-२९ | उग्रतारा टेक्निकल गुडस सप्लायर्स " " | ४०७३६५.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | २-०७४-५-१५ | पोडशा ग्रिल तथा काष्ठ फर्निचर उद्योग फर्निचर | ४९९८९५.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | ७-०७४-७-१४ | मनकामना ट्रेडर्स सप्लायर्स " " | ४८९१६९.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | ५७-०७४-१०-१२ | फुलेश्वर फर्निचर उद्योग " " | ४९८३३०.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | २-०७५-२-२३ | उग्रतारा ट्रेडिङ हाउस " " | ५९७७८१.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जम्मा | ३३४३६४७.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३०. | <p>मूल्य अभिवृद्धि कर- मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६(क) अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका विक्रेताहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर समेत भुक्तानी गरी सो को जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले निम्न आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीहरुलाई यस वर्ष भुक्तानी दिएको मू.अ. कर रु ३९०६३७।० आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा जानकारी दिएको छैन। यसबाट उक्त नियमावलीको व्यवस्थाको परिपालना नहुनुका साथै भुक्तानी गरेको मू.अ.कर दाखिला नहुने जोखिम रहेकोले भुक्तानी गरेको मू.अ. करको सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर समायोजन भएको प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु</p> <p>ब.उ.शि.न.३६५८१९४</p> <table border="1" data-bbox="412 1314 1235 1629"> <thead> <tr> <th>भौ.नं.</th> <th>मिति</th> <th>फर्मको नाम</th> <th>भुक्तानी रकम</th> <th>मु.अ. कर भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>२०७५।३।२३</td> <td>उग्रतारा ट्रेडिङ हाउस</td> <td>४९८३४१।०</td> <td>९९४४०।०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>२०७५।३।२३</td> <td>उग्रतारा ईनर्जि</td> <td>५७३३१।०</td> <td>११४४०।०</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>वित्तिय समानिकरण पीजगत</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>३२६।०७५।३।१३</td> <td>धमला हार्डवेयर एण्ड अर्डर सप्लायर्स</td> <td>२२१९५८।०</td> <td>२८८५४।०</td> </tr> <tr> <td></td> <td>२९९।०७५।३।२४</td> <td>ग्रामिण विकास केन्द्र रुडेक</td> <td>७७६६०।०</td> <td>१००९५८।०</td> </tr> <tr> <td></td> <td>२९८।०७५।३।२४</td> <td>"</td> <td>३४९९५४।०</td> <td>१४९९८१।०</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>३९०६३७।०</td> </tr> </tbody> </table> | भौ.नं. | मिति | फर्मको नाम | भुक्तानी रकम | मु.अ. कर भुक्तानी | १ | २०७५।३।२३ | उग्रतारा ट्रेडिङ हाउस | ४९८३४१।० | ९९४४०।० | २ | २०७५।३।२३ | उग्रतारा ईनर्जि | ५७३३१।० | ११४४०।० | | | वित्तिय समानिकरण पीजगत | | | ३ | ३२६।०७५।३।१३ | धमला हार्डवेयर एण्ड अर्डर सप्लायर्स | २२१९५८।० | २८८५४।० | | २९९।०७५।३।२४ | ग्रामिण विकास केन्द्र रुडेक | ७७६६०।० | १००९५८।० | | २९८।०७५।३।२४ | " | ३४९९५४।० | १४९९८१।० | | | | | ३९०६३७।० | ३९०६३७।० |
| भौ.नं. | मिति | फर्मको नाम | भुक्तानी रकम | मु.अ. कर भुक्तानी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | २०७५।३।२३ | उग्रतारा ट्रेडिङ हाउस | ४९८३४१।० | ९९४४०।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | २०७५।३।२३ | उग्रतारा ईनर्जि | ५७३३१।० | ११४४०।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | वित्तिय समानिकरण पीजगत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | ३२६।०७५।३।१३ | धमला हार्डवेयर एण्ड अर्डर सप्लायर्स | २२१९५८।० | २८८५४।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | २९९।०७५।३।२४ | ग्रामिण विकास केन्द्र रुडेक | ७७६६०।० | १००९५८।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | २९८।०७५।३।२४ | " | ३४९९५४।० | १४९९८१।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ३९०६३७।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३१. | <p>सामाजिक सुरक्षा : संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प.स. २०७४।०७५, चं नं. १०६४ मिति ०७५।३।३१ को पत्रानुसार शसर्त अनुदानको रकम मध्ये खर्च नभई बाँकी रहेमा संघिय संचितकोमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम २२(६) मा नेपाल सरकारबाट रकम खर्च नभई बाँकी रहेमा फ्रिज गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायमा फिर्ता पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। यस नगरपालिका कार्यालयले यो वर्ष सामाजिक सुरक्षा अर्न्तगत निकासी रकम रु.६,०७,५६,०००।०० मध्ये रु.५,७९,००,४००।०० भत्ता बितरण गरि बाँकी रहन आएको रकम रु.२८,५५,६००।००मध्ये रु.२२,८२,२००।०० कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय अछाम मार्फत निकासी</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>फिर्ता गरेको देखियो ।सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा ईन्टी गरि सोहि आधारमा भत्ता निकास तथा बितरण गरेको देखिएता पनि सामाजिक सुरक्षा संचालन कार्यविधि २०७२ को दफा ९ बमोजिम नगरपालिकाले भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको फोटो सहितको मुल अभिलेख अध्याबधिक गरि राख्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुरूप मुल अभिलेख प्रमाणित गरि राखेको नपाईएको हुंदा लगत भिडान गर्न सकिएन । सो कार्यविधि अनुसार लाभग्राहीहरुको नामनामेसी विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै सोको लगत प्रमाणित गरि अध्याबधिक रुपमा राखेको नपाईनुका साथै भत्ता बितरणको रकम फछ्यौट गर्दा अनुसूचि ८ बमोजिमको विवरण फाराम संबन्धीत वडा कार्यालयहरुबाट प्रमाणित गरि लिईएको समेत पाईएन । अतः नगरपालिकामा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको मुल अभिलेख अध्याबधिक रुपमा प्रमाणित गरि राख्नुका साथै भत्ता बितरणको विश्वसनियताको लागि लाभग्राहीहरुको विवरण वडा कार्यालयहरुमा सार्वजनिकरण गर्नुका साथै अनुसूचि ८ बमोजिमको विवरण समेत प्रमाणित गरी राख्नुपर्ने देखिन्छ । उल्लेखित अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरणमा दुरुपयोग हुन सक्ने देखिएकोले व्यवस्थापन पक्षले लाभग्राहीहरुको मुल अभिलेख अध्याबधिक, सो को नविकरण, लगत कट्टा, बितरण प्रणाली र बैंक खाता संचालन लगायत तोकिएका अन्य कार्यहरुलाई विश्वसनिय र भरपर्दो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|---|-------------|------------------------------|--------------------------------------|---------|---|---------------|----------------------------|-------------------------------------|---------|---|---------|------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|--|--|--|----------------|---------|
| ३२. | <p>आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा खर्चलाई पुष्ट्याई गर्ने बिलभर्पाई सहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट निम्न बमोजिमको गो.भा.नं. र मिति बाट भ्रमण खर्च भुक्तानी भएकोमा हवाई टिकट पेश नभएकोले हवाई टिकट पेश गर्ने अन्यथा असुलउपर गर्नुपर्ने...रु.</p> <table border="1" data-bbox="342 835 1300 1146"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>गो.भा.नं. र मिति</th> <th>भ्रमण गर्ने कर्मचारीको नाम</th> <th>पेश नभएको हवाई टिकटको विवरण</th> <th>रकम रु.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>४१२०७४।१।१४</td> <td>नि.प्र.प्र.अधिकृत लोकहरी थापा</td> <td>मिति २०७४।४।७ काठमाण्डौं देखि धनगडी</td> <td>५९००।००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>१७२०७४।१।२३</td> <td>नि.प्र.प्र.अधिकृत लोकहर थापा</td> <td>मिति २०७४।१।१६ ने.ग. देखि काठमाण्डौं</td> <td>७५००।००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>१७१।२०७५।३।३१</td> <td>उपप्रमुखभुमीशरण ढकाल बजगाइ</td> <td>मिति २०७४।१।२२ ने.ग.देखि काठमाण्डौं</td> <td>९६००।००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>" " " "</td> <td>उप प्रमुख भुमीशरण ढकाल बजगाइ</td> <td>मिति २०७४।१।२८ काठमाण्डौं देखि ने.ग.</td> <td>९६००।००</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">जम्मा:</td> <td>३२६००।०</td> </tr> </tbody> </table> | सि.नं. | गो.भा.नं. र मिति | भ्रमण गर्ने कर्मचारीको नाम | पेश नभएको हवाई टिकटको विवरण | रकम रु. | १ | ४१२०७४।१।१४ | नि.प्र.प्र.अधिकृत लोकहरी थापा | मिति २०७४।४।७ काठमाण्डौं देखि धनगडी | ५९००।०० | २ | १७२०७४।१।२३ | नि.प्र.प्र.अधिकृत लोकहर थापा | मिति २०७४।१।१६ ने.ग. देखि काठमाण्डौं | ७५००।०० | ३ | १७१।२०७५।३।३१ | उपप्रमुखभुमीशरण ढकाल बजगाइ | मिति २०७४।१।२२ ने.ग.देखि काठमाण्डौं | ९६००।०० | ४ | " " " " | उप प्रमुख भुमीशरण ढकाल बजगाइ | मिति २०७४।१।२८ काठमाण्डौं देखि ने.ग. | ९६००।०० | जम्मा: | | | | ३२६००।० | ३२६००।० |
| सि.नं. | गो.भा.नं. र मिति | भ्रमण गर्ने कर्मचारीको नाम | पेश नभएको हवाई टिकटको विवरण | रकम रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | ४१२०७४।१।१४ | नि.प्र.प्र.अधिकृत लोकहरी थापा | मिति २०७४।४।७ काठमाण्डौं देखि धनगडी | ५९००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | १७२०७४।१।२३ | नि.प्र.प्र.अधिकृत लोकहर थापा | मिति २०७४।१।१६ ने.ग. देखि काठमाण्डौं | ७५००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | १७१।२०७५।३।३१ | उपप्रमुखभुमीशरण ढकाल बजगाइ | मिति २०७४।१।२२ ने.ग.देखि काठमाण्डौं | ९६००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | " " " " | उप प्रमुख भुमीशरण ढकाल बजगाइ | मिति २०७४।१।२८ काठमाण्डौं देखि ने.ग. | ९६००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा: | | | | ३२६००।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३३. | <p>भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम ७(६ख) मा ७ दिन भन्दा बढि अवधीको सरुवा भ्रमण खर्च भुक्तानीमा आठौं दिन देखि दैनिक भत्ताको ५० प्रतिशत रकम मात्र पाउने व्यवस्था छ । गो.भा.नं.१०५ मिति २०७५।२।२६ बाट डा.अमृत खरेललाई १६ दिनको १६००।००का दरले भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेकोमा ७ दिन भन्दा बढि अवधिको थप भुक्तानी भएको रकम निजवाट असुलउपर गर्नुपर्ने.....रु.</p> | ८६००।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३४. | <p>विशेष भत्ता - नेपाल सरकारबाट स्थानीय निकायमा खटिएकाका निजामती कर्मचारी, मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको प्रशासन अनुदानका कर्मचारीको तलव, भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता र कार्यालय सञ्चालन खर्च, क्षमता विकास खर्च, सामाजिक परिचालन खर्च पाउने व्यवस्था छ । वित्तीय समानीकरण चालु अनुदानबाट २०७४ साउन देखि २०७५ अषाढसम्ममा विभिन्न कर्मचारीहरुलाई नगर कार्यपालिकाको २०७४।१।१० को निर्णयानुसार प्रोत्साहन भत्ता भनी जम्मा रु.२,६९,५००।० खर्च लेखेको छ । नेपाल सरकारले तोकिएको काम गरे बापत तलव भत्ता सुविधा उपलब्ध गराएको अवस्थामा कुन काम कति अतिरिक्त समय कार्य गरी कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी भएको हो सो समेत खुल्दैन । स्पष्ट आधार एवं कार्यविधि विना तथा नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख गरे भन्दा फरक कार्यमा नगरकार्यपालिकाबाट निर्णय गरि प्रोत्साहन भत्ता खर्च लेखेको नियमसंगत नदेखिएको रु.</p> | २६९५००। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३५. | <p>अग्रिम कर : आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा लगानी प्रतिफल,सेवाशुल्क तथा भाडा भुक्तानीमा १० प्रतिशत बहालकर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट निम्नानुसारको निर्माण कार्यमा करकट्टा गरेको नदेखिएकोले नियमानुसार अग्रिम करकट्टागरी दाखिला गर्नुपर्ने देखिन्छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३५.१. | <p>ब.उ.शि.न खेलकुद पुर्वाधार योजना तर्फको गो.भा.नं.२ मिति २०७४।४।२ बाट माण्डव्य कन्ट्रक्सन अछामलाई खेलमैदानमा डोजर प्रयोग गरे बापत भुक्तानी भएको रकम रु.७४६९००।०० मा मु.अ.कर</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | विजक पेस नभएको अवस्थामा १० प्रतिशतले हुन आउने बहालकर रु.७४६९००। कट्टी गर्नुपर्नेमा १.५ प्रतिशत मात्र कट्टी भएकोमा नपुग भएको बहालकर ८.५ ले हुने रु ६३४८७।० छुट भएको देखिएकोले सम्बन्धितवाट असुल गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने ..रु. | ६३४८७।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|--------------|---|-----------|------------|---------|--------|---|---------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------|---------|---|--|-------------|-----|---|----------|---------|--|--|-----|------|---|----------|---------|---|-------------------------|-------------|-------------|---|-----------|---------|---|---|---------------|--------------|-------------------------------------|----------|---------|---|---|-------------|------------|-----|----------|---------|--|---|---|-------------|-----|---------|--------|---|---|-------------|-------------|-----|---------|--------|---|---|--------------|------------|-----|---------|------|--|--|--|--|-------|--|----------|--|
| ३५.२. | ब.उ.शि.न वित्तीय समानीकरण पूजिगत तर्फको गो.भा.नं.२७८ मिति २०७५।३।१३ वाट शिसु सुधार प्रा.वि.घेरा पर्खाल निर्माण कार्यको लागी हुंगा वालुवा ढुवानी गरे वापत ट्याक्टर धनी लाई भुक्तानी भएको रु.६६०००।० मा १० प्रतिशतले हुन आउने बहालकर रु ६६००। कट्टी गर्नुपर्नेमा छुट भएको देखिएकोले सम्बन्धितवाट असुल गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने रु. | ६६००।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३५.३. | ब.उ.शि.न वित्तीय समानीकरण पूजिगत तर्फको गो.भा.नं.४७ मिति २०७४।१०।११ वाट कमलबजार बहुमुखि क्याम्पस भवन निर्माण कार्यको लागी हुंगा ढुवानी गरे वापत रण बहादुर रावत समेत ६ जना लाई भुक्तानी भएको रु.२८०,०००।० मा १० प्रतिशतले हुन आउने बहालकर रु २८०००। कट्टी गर्नुपर्नेमा छुट भएको देखिएकोले सम्बन्धित वाट असुल गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने रु. | २८०००। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३६. | वित्तीय समानीकरण तर्फ भर्पाइ नभएको- आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४को नियम ३६(३) मा खर्च गर्दा खर्चको बिल भरपाई सहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले भौ.नं.३९९।२०७५।३।३२ वाट आलुको विउ १३६०० के.जी. प्रति के.जी.रु ३० का दरले रु.५००००।० को शिवशक्ति मल्ली एग्री रिसर्च सेन्टरवाट कृषकलाई वितरण गर्ने गरी खरिद गरेकोमा विभिन्न कृषकलाई वितरण भएको भर्पाइ अनुसार ६४२५ के.जी.मात्र वितरण गरेको छ। यसरी कृषकको लागी खरिद भएका विउ विजन कृषकलाई वितरण नहुदा तोकिएको कार्य सम्पादन नहुने भएकोले उक्त समान कृषकहरुलाई वितरण गरेको भर्पाई प्रमाण नदेखिएकाले ७१७५ के.जी. प्रति के.जी. रु३०।०का दरले हुने रु २१५२५।० सम्बन्धित वाट असुल गरी दाखिला हुनुपर्ने रु | २१५२५।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३७. | नन फाईलर :- मूल्य अभिवृद्धी कर नियमावली, २०५३ को नियम २६(१) मा दर्ता भएको व्यक्तिले विक्रम सम्बत अनुसारको एक महिनाको कर अवधिको कर विवरण सो अवधि समाप्त भएको मितिले २५ दिन भित्र अनुसुची -१० बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दर्ता भएको कुनै कर दाताले सो बमोजिम मू.अ.कर र कर विवरण तोकिएको समयमा दाखिला नगरेमा आन्तरिक राजश्व विभागले ति कर दाता लाई Non Filer घोषणा गरी वेभ साईटमा समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थायी लेखा नं. ३०३७७३४९८ का करदाता राधा ट्रेड एण्ड सप्लायर्सले उक्त नियम बमोजिम संकलन गरेको मू.अ.कर र कर विवरण दाखिला नगरेको कारण निजलाई २०७५ आषाढमा Non-Filer घोषणा गरी वेभ साईटमा सार्वजनिक गरेको छ। अतः निजलाई निम्नानुसार भुक्तानी भएको मू.अ.कर रकम, सो को ब्याज र शूलक समेत को रकम सम्बन्धित आन्तरीक राजश्व कार्यालयमा दाखिला गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने रु..... | २३२७९८।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.न.</th> <th>ब.उ.शि.न.</th> <th>भौ.न. मिति</th> <th>विजक/मिति</th> <th>फर्मको नाम</th> <th>विल रकम</th> <th>कर रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>३६५८४४४</td> <td>४।२०७५।३।२०</td> <td>५।२०७५।३।२०</td> <td>राधा ट्रेड एण्ड सप्लायर्स ३०३७७३४९८</td> <td>२५३३२५।०</td> <td>३२९३२।०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td></td> <td>५।२०७५।३।२१</td> <td>५६"</td> <td>"</td> <td>१७७१००।०</td> <td>२३०२३।०</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>६ "</td> <td>५५ "</td> <td>"</td> <td>२४४२७५।०</td> <td>३१७५५।०</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>वित्तीय समानीकरण पूजिगत</td> <td>२४ ०७४।६।२४</td> <td>०१।०७४।६।४।</td> <td>प्रगतीशिल निर्माण सेवा ३०२५३१८५१, २०७४ चैत्र देखि</td> <td>२६८११८२।०</td> <td>३८४५४।०</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>"</td> <td>४।१।२०७५।३।२८</td> <td>२६।२०७५।३।२२</td> <td>राधा ट्रेड एण्ड सप्लायर्स ३०३७७३४९८</td> <td>२७२८००।०</td> <td>३५४६४।०</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>"</td> <td>१२।०७५।१।२६</td> <td>११।०७५।१।५</td> <td>" "</td> <td>४१८९००।०</td> <td>५४४५७।०</td> </tr> <tr> <td></td> <td>"</td> <td>"</td> <td>१२।०७५।१।१८</td> <td>" "</td> <td>१८५१०।०</td> <td>२४०६।०</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>"</td> <td>३१।०७५।३।२४</td> <td>२६।०७५।३।२२</td> <td>" "</td> <td>४४६६०।०</td> <td>५८०५।०</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>"</td> <td>२४।१।०७५।३।४</td> <td>१३।०७५।३।४</td> <td>" "</td> <td>७३९०२।०</td> <td>८५०२</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>२३२७९८।०</td> </tr> </tbody> </table> | सि.न. | ब.उ.शि.न. | भौ.न. मिति | विजक/मिति | फर्मको नाम | विल रकम | कर रकम | १ | ३६५८४४४ | ४।२०७५।३।२० | ५।२०७५।३।२० | राधा ट्रेड एण्ड सप्लायर्स ३०३७७३४९८ | २५३३२५।० | ३२९३२।० | २ | | ५।२०७५।३।२१ | ५६" | " | १७७१००।० | २३०२३।० | | | ६ " | ५५ " | " | २४४२७५।० | ३१७५५।० | ३ | वित्तीय समानीकरण पूजिगत | २४ ०७४।६।२४ | ०१।०७४।६।४। | प्रगतीशिल निर्माण सेवा ३०२५३१८५१, २०७४ चैत्र देखि | २६८११८२।० | ३८४५४।० | ४ | " | ४।१।२०७५।३।२८ | २६।२०७५।३।२२ | राधा ट्रेड एण्ड सप्लायर्स ३०३७७३४९८ | २७२८००।० | ३५४६४।० | ५ | " | १२।०७५।१।२६ | ११।०७५।१।५ | " " | ४१८९००।० | ५४४५७।० | | " | " | १२।०७५।१।१८ | " " | १८५१०।० | २४०६।० | ६ | " | ३१।०७५।३।२४ | २६।०७५।३।२२ | " " | ४४६६०।० | ५८०५।० | ७ | " | २४।१।०७५।३।४ | १३।०७५।३।४ | " " | ७३९०२।० | ८५०२ | | | | | जम्मा | | २३२७९८।० | |
| सि.न. | ब.उ.शि.न. | भौ.न. मिति | विजक/मिति | फर्मको नाम | विल रकम | कर रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | ३६५८४४४ | ४।२०७५।३।२० | ५।२०७५।३।२० | राधा ट्रेड एण्ड सप्लायर्स ३०३७७३४९८ | २५३३२५।० | ३२९३२।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | | ५।२०७५।३।२१ | ५६" | " | १७७१००।० | २३०२३।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ६ " | ५५ " | " | २४४२७५।० | ३१७५५।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | वित्तीय समानीकरण पूजिगत | २४ ०७४।६।२४ | ०१।०७४।६।४। | प्रगतीशिल निर्माण सेवा ३०२५३१८५१, २०७४ चैत्र देखि | २६८११८२।० | ३८४५४।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | " | ४।१।२०७५।३।२८ | २६।२०७५।३।२२ | राधा ट्रेड एण्ड सप्लायर्स ३०३७७३४९८ | २७२८००।० | ३५४६४।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | " | १२।०७५।१।२६ | ११।०७५।१।५ | " " | ४१८९००।० | ५४४५७।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | " | " | १२।०७५।१।१८ | " " | १८५१०।० | २४०६।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | " | ३१।०७५।३।२४ | २६।०७५।३।२२ | " " | ४४६६०।० | ५८०५।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | " | २४।१।०७५।३।४ | १३।०७५।३।४ | " " | ७३९०२।० | ८५०२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | जम्मा | | २३२७९८।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८. | कमलबजार गैरीटाँड सडक - वित्तीय समानीकरण (पूजिगत तर्फ) अन्तरगत सामाजिक विकास शिर्षकमा प्रथम नगर सभाले रु.६० लाख बजेटमा गाडी खरिद गर्न प्रस्ताव पारित गरेकोमा २०७५।१।९ मा दोस्रो | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | नगर सभाले सो कार्य संशोधन गरी गैरीटाँड कमलबजार सडक स्तर उन्नति गर्ने कार्य पारित गरेको छ । यस अन्तर्गत चेनेज ०+००० देखि ७+५०० सम्म ७.५ कि.मि. सडक स्तर उन्नति गर्ने कार्य २०७५।३।२५ मा सम्पन्न गर्ने गरी उपभोक्ता समिति संग २०७५।३।०२ मा सम्झौता भई सोही मितिमा सम्पन्न भएको छ । सो कार्यको लागि रु.५६,५०,०००।०० को लागत अनुमान स्वीकृत भएको छ । यस अन्तर्गत देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----|----------|------------------|-------------|-----------------------|----------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|--|-------|-----------|--|--|
| ३८.१. | सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूदायबाट संचालित निर्माण कार्यमा हेभी मेशीन प्रयोग गर्न नपाइने र लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशीन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य देखिएमा सम्बन्धित प्राविधिकको शिफारिशमा सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिई त्यस्ता मेशीन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस निर्माण कार्यको लागि डोजर प्रयोग भई रु ५२,७५,०००।०० भुक्तानी भएकोमा तदनुसार गरेको छैन । उपभोक्ता समितिबाट गरिने निर्माण कार्यमा हुने डोजर प्रयोगको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को व्यवस्थाको पालना गरिनु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८.२. | उक्त निर्माण कार्यको लागि निम्नानुसार ३ व्यक्तिबाट प्रति कि.मि. रु ५ लाखमा तोकिएको कार्य गर्ने गरी सम्झौता हुँदा ७.५ कि.मि. सो सडक स्तर उन्नति कार्यको कटान सम्बन्धी कार्यका लागि रु.३७५०,०००।०० लाग्नेमा रु.५,२७५,०००।०० भुक्तानी गरेको समितिको फाँटवारीबाट देखिन्छ । साथै डोजर सेवा प्राप्तमा ३ वटा डोजर प्रयोग भएको भएता पनि सो प्राप्त प्रकृया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक भएको अभिलेख प्रस्तुत भएको छैन । यस्तै भौचर नं.४६३ मिति २०७५।३।३१ मा ठेक्का बिलमा कम्प्याक्सन गर्ने २ कार्य बाहेक कटान सम्बन्धी कार्यका लागि प्राविधिक जाँच पास अनुसार रु ३,९७५,२९३।८२ भुक्तानी भएको छ । यसबाट सम्झौता भन्दा बढी भुक्तानी भएको रु २२५,२९३।८२ संचितकोष दाखिला गर्नुपर्ने रु..... | २२५,२९३।८२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सम्झौता मिति</th> <th>डोजर धनी</th> <th>उपभोक्ता समितिबाट भुक्तानी रकम</th> <th>दर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२०७५/३/४</td> <td>पुष्पराज अधिकारी</td> <td>२,९८०,०००/-</td> <td>प्रति कि.मि.रु. ५ लाख</td> </tr> <tr> <td>२०७५/३/४</td> <td>सुरेन्द्र भण्डारी</td> <td>१,७२७,०००/-</td> <td>प्रति कि.मि.रु. ५ लाख</td> </tr> <tr> <td>२०७५/३/१०</td> <td>प्रभुनाथ खनाल</td> <td>५६८,०००/-</td> <td>प्रति कि.मि.रु. ५ लाख</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>५,२७५,०००</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | सम्झौता मिति | डोजर धनी | उपभोक्ता समितिबाट भुक्तानी रकम | दर | २०७५/३/४ | पुष्पराज अधिकारी | २,९८०,०००/- | प्रति कि.मि.रु. ५ लाख | २०७५/३/४ | सुरेन्द्र भण्डारी | १,७२७,०००/- | प्रति कि.मि.रु. ५ लाख | २०७५/३/१० | प्रभुनाथ खनाल | ५६८,०००/- | प्रति कि.मि.रु. ५ लाख | | जम्मा | ५,२७५,००० | | |
| सम्झौता मिति | डोजर धनी | उपभोक्ता समितिबाट भुक्तानी रकम | दर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २०७५/३/४ | पुष्पराज अधिकारी | २,९८०,०००/- | प्रति कि.मि.रु. ५ लाख | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २०७५/३/४ | सुरेन्द्र भण्डारी | १,७२७,०००/- | प्रति कि.मि.रु. ५ लाख | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २०७५/३/१० | प्रभुनाथ खनाल | ५६८,०००/- | प्रति कि.मि.रु. ५ लाख | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ५,२७५,००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८.३. | वडास्तरीय/नगरपालिका स्तरीय अनुगमन समितिले २०७५।३।२० मा दिएको प्रतिवेदनमा उक्त कार्य आंशिक अथवा पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको उल्लेख छ । अनुगमन समितिले किटानी साथ सो कार्य पुर्ण रुपमा सम्पन्न भएको उल्लेख नभएवाट सो कार्य पुर्ण सम्पन्न भई निर्माण लागत उपयोग भएको आश्वस्त हुने आधार रहेन । यसमा समितिको स्पष्ट प्रतिवेदन पेश हुनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८.४. | आर्थिक कार्यविधी नियमावली, २०६४ को नियम ४१(५) मा सरकारी अनुदानमा कार्यक्रम संचालन गर्ने स्थानीय निकायले संचालन गरेको योजना, कार्यक्रमको मूल्यांकन तथा लक्ष्य प्रगतीको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त सडक कम्प्याक्सन गर्ने काये अन्तर्गत १५० मी.मी. गहिराइमा कम्प्याक्ट गरी ९०३।९९ घ.मी. मा पानी लगाउने कार्य र पुनः ग्राभेलिङ्ग गरी ६००० घ.मी. कम्प्याक्सन गर्ने कार्यका लागि रु. २३,०९,०९९।२८ खर्च लेखेको छ । उक्त पुनः ग्राभेलिङ्ग गर्ने कार्यको Rate analysis पेश भएको छैन भने उपभोक्ता समितिले सो कार्यको लागि मेशीन उपकरण भाडामा लिई प्रयोग गरेको पनि देखिदैन । २०७५।५।२९ गते कार्यालयको प्राविधिक सहितको लेखापरीक्षण टोलीले उक्त सडकको स्थलगत अवलोकन गर्दा सडकको सबै क्षेत्रमा ग्राभेलिङ्ग गरेको देखिदैन । प्राविधिकका अनुसार ग्राभेलिङ्ग मा पनि रोलर नभई डोजर प्रयोग भएको र ग्राभेलहरु दबिएको कारण नदेखिएको प्रतिकृया रहेको छ । डोजरबाट ग्राभेल राखि कम्प्याक्सन गरेको कार्य गुणस्तरीय नहुने हुँदा यसमा छानबिन गरी नगर सभामा स्पष्ट गरिनु पर्ने देखिन्छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८.५. | यस सडक स्तर उन्नतिको लागि विस्तृत ड्रइङ डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्यका लागि छुट्याइएको रु.३५०,०००।०० बाट सो कार्य परामर्शदाता इम्पेरियम इन्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्ट्यान्टबाट मे २०१८ मा सम्पन्न भएको छ । परामर्शदाताको ड्रइङ डिजाइन स्वीकृत गरी सो आधारमा उक्त सडकको स्तरोन्नतिको कार्य हुनुपर्नेमा सो नभएकोले यस कार्यमा भएको लगानीको उपयोग हुन सकेको छैन । उक्त कार्य कार्यालयको प्राविधिकबाट गराउनुपर्नेमा दक्ष प्राविधिकको अभावले बाह्य परामर्श दाताबाट गराएको | ३५०,०००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-------|--|--|
| | देखियो । प्रस्तुत लागत अनुमानमा कमलबजार गैरीटाँड सडक (०+००० देखि ७+५००) को विस्तृत ड्रइङ डिजाइन समेतलाई आधार लिई मु.अ.कर सहित रु.३,९६,८८,६८८।९६ को लागत अनुमान तयार गरी पेश भएकोमा सो स्वीकृत भएको छैन । अतः प्रस्तुत ड्रइङ डिजाइन र लागत अनुमान स्वीकृत नगरी परामर्शदातालाई भुक्तानी गरेको रु.३,५०,०००।०० नियम सम्मत नदेखिएको रु.... | |
| ३९. | कमलबजार भित्री सडक - कमलबजार भित्री सडकको आर.सि.सि.पिच (०.४६०कि.मि.) गर्ने कार्यको मु.अ.कर सहित रु ९९४९७३६।०० को लागत अनुमान स्वीकृत गरी २०७५।९।३० सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी प्रतिभा निर्माण सेवा संग कबोल अंक रु ५,९७०,०५७।३७ मा सम्भौता भएको छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोराहरु निम्नानुसार छ : | |
| ३९.१. | उक्त निर्माण कार्यको लागि नेपाल सरकारको वित्तीय समानीकरण अन्तर्गतको श्रोतबाट रु.९,५००,०००।०० र आन्तरिक श्रोतबाट रु ५००,०००।०० गरी रु.१०,०००,०००।०० को कार्यक्रम तथा बजेट नगरको प्रथम सभाबाट पारित भएको छ । उक्त कार्यक्रम तथा बजेट प्रथम सभा २०७४।५।१९ मा पारित भएको भएता पनि २०७४।१२।२९ मा मात्र निर्माण कार्यको सूचना तथा बोलपत्र आव्हान भई २०७५।९।३० सम्म मा सम्पन्न गर्ने गरी २०७५।३।१० मा कार्यादेश जारी गरेको छ । स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विलम्ब हुनाका आधार/कारण स्पष्ट गरेको छैन । यसबाट निर्माण समय लम्बिनाका साथै लागत पनि बढ्न जाने देखिन्छ । अतः स्वीकृत कार्यक्रम समयमा नै कार्यान्वयन गरी सम्पन्न गर्ने तर्फ जिम्मेवार पदाधिकारी र निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । | |
| ३९.२. | उक्त निर्माण कार्यमा १३ बोलपत्रदाता विच प्रतिस्पर्धा भई लागत अनुमान भन्दा ४०% घटीमा सम्भौता भएको छ । तर सम्भौता बमोजिम मोबिलाइजेशन पेशकी नदिएको, सम्भौता कार्यतालिका नरहेकोले यस निर्माण कार्यको थालनी सम्म पनि भएको छैन । यस निर्माण कार्यको निर्माण व्यवसायीलाई सम्भौता अनुसार निर्माण कार्य गर्न र नगरेमा ठेक्का तोडी वैकल्पिक व्यवस्था अनुसार निर्माण कार्य आरम्भ गर्ने तर्फ जिम्मेवार पदाधिकारी र निकायको ध्यान जानु पर्दछ । | |
| ४०. | एम्बुलेन्स खरिद - नगर सभाको २०७५।२।९ को (दोस्रो) निर्णयानुसार एम्बुलेन्स खरिद गर्न स्वीकृत बजेट रु.२० लाख मध्ये १४ लाख एम्बुलेन्स खरिद गर्न र बाँकी रु ६००००।०० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंगलबजार एम्बुलेन्स संचालन तथा मर्मत कोषमा जम्मा गर्ने गरी संशोधन भए अनुसार कार्यान्वयन भएको छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छ । | |
| ४०.१. | सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४को नियम ३९(ख) मा सार्वजनिक निकायले स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पर्ने, उपचार यन्त्र र यान्त्रिक मालसमानहरु त्यस्तो समान स्तरको मालसमान उत्पादन वा वितरण गर्ने उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आधिकारिक विक्रेतालाई कम्तीमा सात दिन देखि बढीमा १५ दिन सम्मको लिखित सूचना दिई प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उक्त व्यवस्थालाई अनुसरण नगरी सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि. काठमाण्डौं बाट एम्बुलेन्सको स्पेशिफिकेशन लिई सिधै खरिद गर्न आंशिक रु.१०,१२,४००।०० भुक्तानी गरेको छ । यसरी प्रतिस्पर्धा नगराई सिधै खरिद कार्य भएको अनियमित देखिएको छ । | |
| ४१. | औषधि खरिद - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(१क) मा रु.२० लाख रुपैया सम्मको औषधी जन्य माल समान उत्पादन राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोभै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले रु.१,५९९,९५९।०० को औषधि तथा सर्जिकल सामान भौ.नं.२६२-२०७५।३।१२ मा ३ वटा खुल्ला दरभाउपत्र लिई घटी बाला कुन्तेश्वर ड्रग सप्लायर्सबाट रु.१,४९२,३३८।०० का सामान र बालाजी सर्जिकल सप्लायर्स बाट रु.८३,६२२।०० का सर्जिकल सामान खरिद गरेको छ । तर कार्यालयले उक्त नियम अनुसार सम्बन्धित उत्पादकबाट राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा प्रकाशित दरलाई आधार नलिएकोले खरिद कार्य नियमसम्मत र मितव्ययी देखिएन । अतः औषधि सामान उक्त सिमा सम्म खरिद गर्दा उक्त नियम बमोजिम वा सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र बाट प्रतिस्पर्धा गराई आइटम वाइज घटी मूल्य पर्ने गरी आपूर्तक संग औषधि जन्य सामान आपूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ । | |

| ४२. | जाल्पादेवी मा.वि.: यस विद्यालयको प्राविधिक शिक्षा सामाग्रीको कुल बजेट रु २७,००,०००।० खर्च गरेको फाईल परीक्षण गर्दा देखिएका ब्यहोरा निम्न छन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------|--|------------|------------------------------|---|-------------|--------------------------|--|-----------|---------------------|----------|--|-----------|----------------------------|----------|---------------------------------------|-------|--------------|----------|--------------------------------------|--|-------|-------------|--|--|
| ४२.१. | मिति २०७५।२।१९ को दोस्रो नगर सभाबाट पारित यस कार्यक्रम अन्तर्गत ११ वटा क्रियाकलापहरु रहेको छन । विद्यालयले सो कार्यक्रम सम्पन्न गरी पेश गरेको फाँटवारीमा संलग्न बिल बिजकहरु सिलसिलेवार, व्यवस्थित क्रियाकलापगत खुल्ने गरी राखेको छैन । सत्ताइस लाखका एकमुष्ट बिलमध्ये वास्तविक खर्च रु.१,७७१,१८९।०० दावी गरेकोमा निम्नानुसारका आधारभूत प्रमाण पेश नभएकोले सो खर्च पुष्टि हुने प्रमाण पेश गरी नियमित गर्नुपर्ने रु..... | १,७७१,१८९ /- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>कार्यक्रम अन्तर्गतका कृयाकलापहरु</th> <th>रकम</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>प्राविधिक PJTAभ्रमण</td> <td>२२३३९४/-</td> <td>कार्यक्रम र भ्रमण प्रतिवेदन नरहेको</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>ICTसामान खरिद</td> <td>६९९०७९/-</td> <td>सामान दाखिला भई ICTल्याब</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>इन्टरनेट जडान र सामान खरिद</td> <td>१०४८९०/-</td> <td>संचालन भएको प्रतिवेदन नरहेको</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>पुस्तक खरिद</td> <td>२८१८४५/-</td> <td>पुस्तक पुस्तकालयमा आम्दानी बाँधेको प्रमाण नरहेको</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>सोलार खरिद र ढुवानी</td> <td>१७०४२०/-</td> <td>सोलार उपकरण दाखिला र जडान भएको प्रमाण नरहेको</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>प्राविधिक कक्षा कोठा मर्मत</td> <td>१३०९१८/-</td> <td>मर्मत भएको प्राविधिक प्रतिवेदन नरहेको</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>फर्निचर खरिद</td> <td>१६०६४३/-</td> <td>फर्निचर दाखिला भएको प्रतिवेदन नरहेको</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>१,७७१,१८९/-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | सि.नं. | कार्यक्रम अन्तर्गतका कृयाकलापहरु | रकम | कैफियत | १ | प्राविधिक PJTAभ्रमण | २२३३९४/- | कार्यक्रम र भ्रमण प्रतिवेदन नरहेको | २ | ICTसामान खरिद | ६९९०७९/- | सामान दाखिला भई ICTल्याब | ३ | इन्टरनेट जडान र सामान खरिद | १०४८९०/- | संचालन भएको प्रतिवेदन नरहेको | ४ | पुस्तक खरिद | २८१८४५/- | पुस्तक पुस्तकालयमा आम्दानी बाँधेको प्रमाण नरहेको | ५ | सोलार खरिद र ढुवानी | १७०४२०/- | सोलार उपकरण दाखिला र जडान भएको प्रमाण नरहेको | ६ | प्राविधिक कक्षा कोठा मर्मत | १३०९१८/- | मर्मत भएको प्राविधिक प्रतिवेदन नरहेको | ७ | फर्निचर खरिद | १६०६४३/- | फर्निचर दाखिला भएको प्रतिवेदन नरहेको | | जम्मा | १,७७१,१८९/- | | |
| सि.नं. | कार्यक्रम अन्तर्गतका कृयाकलापहरु | रकम | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | प्राविधिक PJTAभ्रमण | २२३३९४/- | कार्यक्रम र भ्रमण प्रतिवेदन नरहेको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | ICTसामान खरिद | ६९९०७९/- | सामान दाखिला भई ICTल्याब | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | इन्टरनेट जडान र सामान खरिद | १०४८९०/- | संचालन भएको प्रतिवेदन नरहेको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | पुस्तक खरिद | २८१८४५/- | पुस्तक पुस्तकालयमा आम्दानी बाँधेको प्रमाण नरहेको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | सोलार खरिद र ढुवानी | १७०४२०/- | सोलार उपकरण दाखिला र जडान भएको प्रमाण नरहेको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | प्राविधिक कक्षा कोठा मर्मत | १३०९१८/- | मर्मत भएको प्राविधिक प्रतिवेदन नरहेको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | फर्निचर खरिद | १६०६४३/- | फर्निचर दाखिला भएको प्रतिवेदन नरहेको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | १,७७१,१८९/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४३. | उपभोक्ता समिति सँगको निर्माण कार्य - सार्वजनिक खरीद नियमावलीको ९७(६) र (७) अनुसार उपभोक्ता समिति/लाभगृही समुदायले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्यांकन, बिल भर्पाइ र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात त्यस्तो समिति वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराइ सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्दछ भने आफुले गरेको कामकारवाहीको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकको प्रक्रिया बमोजिम तोकको अवधिभित्र सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्दछ र नियम ९७(११) मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यसरी प्राप्त भएको विवरण तथा उक्त निर्माण कार्यको सर्भे,डिजाइन,लागत अनुमान, सुपरिवेक्षण र कार्यसम्पादन गर्ने व्यक्ति तथा पदाधिकारीले नाम र पदसमेत खुल्ने गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले देहायअनुसार उपभोक्ता समिति सँग गरेको निर्माण कार्य तपशिल बमोजिमको भौचर नं. बाट सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई अन्तिम बिलको भुक्तानी दिँदा सामाजिक लेखापरीक्षण गरेको देखिएन । नगरस्तरीय अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा योजनाका कामहरु आंशिक वा पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको भनिएकाले निर्माण कार्य पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको सुनिश्चित हुने स्पष्ट आधार भएन । अतः काम सम्पन्न भए नभएको स्पष्ट नभएकोले पूर्ण भूक्तानी दिनु नियम सम्मत देखिएन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौचर नं. र मिति</th> <th>निर्माण कार्य</th> <th>लागत अनुमान</th> <th>अन्तिम भुक्तानी</th> <th>विलबाट</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१०३-२०७५/१/२०</td> <td>कमलबजार मुलि बेलखेत ग्रामीण सडक</td> <td>७२३८६९९/-</td> <td>१५०५२००/०७</td> <td></td> <td>कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन संलग्न नभएको</td> </tr> <tr> <td>२३९-२०७५/३/४</td> <td>जाल्पादेवी आ.वि.घेरा पर्खाल, कमलबजार ९</td> <td>२०१२१३३.९३</td> <td>९६५२२८/-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>४४७-२०७५/३/३१</td> <td>फेरेवाटा पाचेखोला दमाइवाडासिल्लाकुरा सडक निर्माण</td> <td>२४३०५४४/-</td> <td>७११०००/-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | भौचर नं. र मिति | निर्माण कार्य | लागत अनुमान | अन्तिम भुक्तानी | विलबाट | कैफियत | १०३-२०७५/१/२० | कमलबजार मुलि बेलखेत ग्रामीण सडक | ७२३८६९९/- | १५०५२००/०७ | | कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन संलग्न नभएको | २३९-२०७५/३/४ | जाल्पादेवी आ.वि.घेरा पर्खाल, कमलबजार ९ | २०१२१३३.९३ | ९६५२२८/- | | | ४४७-२०७५/३/३१ | फेरेवाटा पाचेखोला दमाइवाडासिल्लाकुरा सडक निर्माण | २४३०५४४/- | ७११०००/- | | | | | | | | | | | | | | | |
| भौचर नं. र मिति | निर्माण कार्य | लागत अनुमान | अन्तिम भुक्तानी | विलबाट | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १०३-२०७५/१/२० | कमलबजार मुलि बेलखेत ग्रामीण सडक | ७२३८६९९/- | १५०५२००/०७ | | कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन संलग्न नभएको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २३९-२०७५/३/४ | जाल्पादेवी आ.वि.घेरा पर्खाल, कमलबजार ९ | २०१२१३३.९३ | ९६५२२८/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४४७-२०७५/३/३१ | फेरेवाटा पाचेखोला दमाइवाडासिल्लाकुरा सडक निर्माण | २४३०५४४/- | ७११०००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४४. | पेशकी -: आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ७४(३) अनुसार पेशकी फछ्यौट हुनुपर्दछ । प्राप्त विवरण अनुसार नगरपालिकाले निम्न फर्मको नाममा दिएको रु.५१२८८४५।०पेशकी फछ्यौट नभई बाँकी रहेकोले नियमानुसारफछ्यौट हुनुपर्नेरु. | ५१२८८४५। ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ब.उ.सि.न.</th> <th>सि.नं.</th> <th>भौ.न. मिति</th> <th>पेशकी लिनेको नाम</th> <th>पेशकी रकम रु.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सानासंचाई ३६५८४४४</td> <td>१</td> <td>२०७५।३।२०</td> <td>वोक्सडा संचाई ज.उ.स.</td> <td>६७५०००।०</td> </tr> <tr> <td>" "</td> <td>२</td> <td>३०७५।३।२०</td> <td>कालाखेत गाउंखेत संचाई ज. उ.स.</td> <td>६७५०००।०</td> </tr> <tr> <td>वित्तिय समानिकरण</td> <td>३</td> <td>०७५।३।३</td> <td>सिप्रिड ट्रेडिड काठमाडौं</td> <td>१०१२४००।०</td> </tr> <tr> <td>" "</td> <td>४</td> <td>०७५।३।३</td> <td>राजन निर्माण सेवा</td> <td>२७६६४४५।०</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>५१२८८४५।०</td> </tr> </tbody> </table> | ब.उ.सि.न. | सि.नं. | भौ.न. मिति | पेशकी लिनेको नाम | पेशकी रकम रु. | सानासंचाई ३६५८४४४ | १ | २०७५।३।२० | वोक्सडा संचाई ज.उ.स. | ६७५०००।० | " " | २ | ३०७५।३।२० | कालाखेत गाउंखेत संचाई ज. उ.स. | ६७५०००।० | वित्तिय समानिकरण | ३ | ०७५।३।३ | सिप्रिड ट्रेडिड काठमाडौं | १०१२४००।० | " " | ४ | ०७५।३।३ | राजन निर्माण सेवा | २७६६४४५।० | | | | जम्मा | ५१२८८४५।० | | | | | | | |
| ब.उ.सि.न. | सि.नं. | भौ.न. मिति | पेशकी लिनेको नाम | पेशकी रकम रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सानासंचाई ३६५८४४४ | १ | २०७५।३।२० | वोक्सडा संचाई ज.उ.स. | ६७५०००।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " " | २ | ३०७५।३।२० | कालाखेत गाउंखेत संचाई ज. उ.स. | ६७५०००।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वित्तिय समानिकरण | ३ | ०७५।३।३ | सिप्रिड ट्रेडिड काठमाडौं | १०१२४००।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " " | ४ | ०७५।३।३ | राजन निर्माण सेवा | २७६६४४५।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | जम्मा | ५१२८८४५।० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | सशर्त अनुदान तर्फ : शिक्षा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|---|---------------|
| ४५. | <p>विद्यालयहरूको बैंक खाता - विद्यालयहरूलाई रकम निकासी दिँदा सम्बन्धित विद्यालयको नाममा खोलिएको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी दिनु पर्दछ । नगरपालिकाले विभिन्न भौचरबाट विद्यालयहरूलाई रु.१४२८२४१२।६० निकासी दिँदा प्रभु बैंक लि. ,कमलबजारलाई दिएको बैंक आदेशमा विद्यालयहरूको खाता नं. उल्लेख नभएकोले सो रकम विद्यालयहरूले प्राप्त गरे नगरेको सुनिश्चित हुने आधार नरहेकोले सम्बन्धित विद्यालयको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भनी औल्याइसकेपछि मात्र २०७५।१।३१ मा प्रभु बैंकको बैंक स्टेटमेण्ट पेश हुनआई परीक्षण गरीएको छ । यसरी खाता नम्बर उल्लेख नगर्दा विद्यालयको खातामा रकम जम्मा हुन समय लाग्ने र लेखापरीक्षण गर्न समेत दोहोरो समय लाग्न गएको हुदां विद्यालयको निकासी छाड्दा अनिवार्यरूपमा बैंक खाता नम्बर उल्लेख गर्ने तर्फ ध्यान जानु पर्दछ ।</p> | |
| ४६. | <p>बाल विकास केन्द्र -विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७४।७५ को सि.नं. २.१५.११(क) मा विद्यालय र विद्यालय संग मातृ सम्बन्ध स्थापना गरी सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताको प्रति महिना रु ६०००।०० का दरले चाडपर्व खर्च सहित १३ महिनाको हुन आउने रकम विद्यालयको खातामा निकासी दिने व्यवस्था छ । यस नगरपालिकाले जम्मा ४९ वटा बालविकास केन्द्रमा ४९ वटा बालसहजकर्तालाई यस आ.व. जम्मा रु भुक्तानी गरेकोमा उक्त बाल सहजकर्ताको पारिश्रमिक रकम निकासी दिँदा सम्बन्धित विद्यालयको हाजिर प्रमाणित र सिफारीस अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने उक्त निर्देशिकामा उल्लेख भएकोमा सो गरेको देखिएन । अतः ती आधारभुत प्रमाण बेगर निकासी दिएको रु. ३८२८०००।०० खर्च पुष्टी हुने प्रमाण संलग्न गरी मात्र निकासी दिनुपर्ने रु</p> | ३८२८००० /- |
| ४७. | <p>निःशुल्क पाठ्य पुस्तक अनुदान :- विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७४।७५ को सि.नं. २.१५.११ मा प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा कक्षा १ देखि १० सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विद्यालयबाट कक्षागत विद्यार्थीहरूको यथार्थ तथ्यांक संकलन गरी सम्बन्धित विनि/स्रोत व्यक्तिबाट प्रमाणित गराउने र सो आधारमा कक्षागत पाठ्यपुस्तक संख्या एकन गरी दोस्रो चौमासिक भित्र अनुदान निकासी दिने, पहिलो पटकमा विद्यार्थी संख्याको ७५ प्रतिशत संख्यालाई मात्र निकासी दिने र बाँकी २५ प्रतिशत २०७५ वैशाखबाट शुरु हुने शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्ना भएको विवरण पाठ्यपुस्तक खरिद र वितरण गरेको विवरणका आधारमा नपुग हुने रकम मात्र थप निकासी दिने व्यवस्था रहेको छ । नगरपालिकाले विद्यालयलाई तेस्रो चौमासिकमा पाठ्यपुस्तक अनुदान जम्मा रु. ३१५२६४६।०० निकासी दिएकोमा पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्थापन जिल्ला अनुगमन समितिले विद्यार्थीहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक पाए नपाएको अनुगमन गरी सो को लगत राख्न लगाएको पाइएन । जसले गर्दा पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको निश्चितता छ भन्न सकिएन भने अनुगमन प्रतिवेदन तालुक निकायमा पठाएको पाइएन । अतः पाठ्यपुस्तक वितरण विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा तोके बमोजिम गर्नुपर्दछ ।</p> | |
| ४८. | <p>छात्रवृत्ति अनुदान सम्बन्धमा -शिक्षा विभाग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४/०७५ को कम्पोनेन्ट नं. २.१५.११ अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार जिल्लामा प्राप्त कोटा र रकम समेतलाई ध्यानमा राखी छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी नीतिगत आधार तय गर्ने यसरी आधार तय गर्दा अध्ययनरत सम्पूर्ण छात्राहरूलाई समेटने गरी र दलित विद्यार्थीहरूलाई समेटने गरि तय गर्ने र यो छात्रवृत्ति अन्य कुनै किसिमको छात्रवृत्ति नपाएका र छात्रवृत्ति वितरण गर्दाको समयमा विद्यालय खुलेको दिनको निमित्त हाजीर भएका छात्रा तथा दलित विद्यार्थीहरूलाई दोहोरो नपर्ने गरी अभिभावकको रोहवरमा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाइ सो को नाम नामेसी सहितको विवरण अध्यावधिक गरी राख्ने र सो को समष्टिगत विवरण शिक्षा विभागमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । कार्यालयले भौचर नं. १७-२०७५।१।१६ र २२-२०७४।३।१५ बाट गैर आवसीय कक्षा १-८ सम्मका छात्रा तथा दलित विद्यार्थीहरूलाई जम्मा छात्रवृत्ति रकम रु. २०२९५००/- उपलब्ध गराएकोमा छात्रवृत्ति वितरण गर्दा विद्यालय खुलेको दिनको नियमित हाजिरी भएकालाई सम्बन्धितका अभिभावकको रोहवरमा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र सो को नाम नामेसी सहितको विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अध्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख</p> | |

| | भएकोमा सो अनुसार विवरण अध्यावधिक गरेको पाइएन । तसर्थ नियमानुसार छात्रवृत्ति वितरण गरी सो को विवरण अध्यावधिक गर्नुपर्ने देखिएको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|---|---------------|-----------|--------|---|-------------|-----------|--------|---|-----------|----------|--------|---|------------|----------|--------|---|---------------|-----------|--------|---|-----------|----------|--------|---|--------------|-----------|--------|---|-------------|-----------|--------|---|--------------|-----------|--------|----|-------------|-----------|--------|----|-----------|----------|--------|----|----------------|----------|--------|----|-------------|-----------|--------|----|------------|-----------|--------|----|------------|-----------|--------|----|--------------|-----------|--------|----|--------------|-----------|--------|----|-----------|------------|--------|----|-----------|------------|--------|----|---------------|------------|--------|----|---------------|------------|--------|----|----------|-----------|--------|----|-----------|-----------|--------|--|
| ४९. | सामुदायिक सिकाई केन्द्र - शिक्षा विभाग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा सामुदायिक सिकाई केन्द्रले आफ्नो सेवा क्षेत्रका विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुको विस्तृत सर्वेक्षण गरी संख्या एकिन गरी अनुदान मागको प्रस्तावना स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्ने र उक्त प्रस्तावनाका आधारमा छनौट गरी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले बागेश्वरी सामुदायिक सिकाई केन्द्रलाई रु २००००००० अनुदान दिएकोमा कुनै विवरण संलग्न भएको देखिएन । अतः सामुदायिक सिकाई केन्द्रको प्रस्तावना पत्र, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या तथा अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जस्ता प्रमाण संलग्न गरी नियमित गर्नुपर्ने रु..... | २००,०००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५०. | बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम -भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४को नियम ७(११)मा दैनिक भत्ता उपभोग गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले दैनिक भत्ता उपभोग गरेको अवधिभर फिल्डभत्ता, बैठक भत्ता, तालिम भत्ता, स्थानीय भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको भत्ता नपाउने व्यवस्था छ । यस नगरपालिकाले भौचर नं. १३-२०७५।३।२५ बाट बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत नगरप्रमुख सहित २२ जनाको सामूहिक अनुगमन तथा अन्य खर्च बापत जम्मा रु ९९७५०१०० खर्च लेखेको मध्ये अनुगमन अवधिमा खाजा, स्टेशनरी र प्रतिवेदन गरी जम्मा रु १२९४५।००बढी खर्च लेखेको देखियो । अतः बढी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित सँग असुल गरी संघीय संचितकोष दाखिला गर्नुपर्ने रु.... | १२९४५/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | सशर्त अनुदान : स्वास्थ्य | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५१. | सुरक्षित मातृत्व -: आमा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिका , २०६५ बमोजिम प्रसुति महिलाले प्रोटोकल अनुसार स्वास्थ्य जाँच (4ANC) गराएमा प्रति प्रसुति लाई रु.४००।- साधारण प्रसुति सेवा प्रदान गरेवापत स्वास्थ्य संस्थालाई प्रति प्रसुतिको अनुदान रु.१०००।-जटिल सेवा प्रसुतिको रु.३०००।- CS प्रसुति सेवा बापत प्रति ७०००।-दरले सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुदान बापत बैंक खातामा रकम दाखिला र प्रसुति आमालाई यातायात खर्च बापत प्रति रु.१०००।- भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न मितिमा निम्नानुसारको सेवाग्राहीलाई रकम बुझाएको भरपाई , फारम अनुसूची -३ मा सेवाग्राहीको दस्तखत नभएकोले भरपाई वेगर खर्च लेखेको रु.३८६००।- संघिय कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु..... | ३६८००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.न.</th> <th>नाम,थर</th> <th>मिति</th> <th>प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान यातायात खर्च</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>१</td><td>कमला उपाध्याय</td><td>२०७४।१।३२</td><td>१४००।-</td></tr> <tr><td>२</td><td>मैसरा वि.क.</td><td>२०७४।१।१९</td><td>१०००।-</td></tr> <tr><td>३</td><td>रत्ना भुल</td><td>२०७४।१।४</td><td>१४००।-</td></tr> <tr><td>४</td><td>ईसरा वि.क.</td><td>२०७४।१।३</td><td>१४००।-</td></tr> <tr><td>५</td><td>महिना भण्डारी</td><td>२०७४।१।२९</td><td>१४००।-</td></tr> <tr><td>६</td><td>बिमला भुल</td><td>२०७४।१।९</td><td>१४००।-</td></tr> <tr><td>७</td><td>गौरी भण्डारी</td><td>२०७४।१।१४</td><td>१४००।-</td></tr> <tr><td>८</td><td>रंगा नेपाली</td><td>२०७४।१।११</td><td>१०००।-</td></tr> <tr><td>९</td><td>डिक्का वि.क.</td><td>२०७४।१।१४</td><td>१४००।-</td></tr> <tr><td>१०</td><td>नमिता वि.क.</td><td>२०७४।१।२४</td><td>१४००।-</td></tr> <tr><td>११</td><td>थुमा शाही</td><td>२०७४।१।३</td><td>१४००।-</td></tr> <tr><td>१२</td><td>धन कुमारी शाही</td><td>२०७४।१।४</td><td>१४००।-</td></tr> <tr><td>१३</td><td>निर्मला बली</td><td>२०७४।१।२४</td><td>१४००।-</td></tr> <tr><td>१४</td><td>टंकी जनाला</td><td>२०७४।१।२२</td><td>१४००।-</td></tr> <tr><td>१५</td><td>रुपा वि.क.</td><td>२०७४।१।२८</td><td>१०००।-</td></tr> <tr><td>१६</td><td>दीलसरा वि.क.</td><td>२०७४।१।१४</td><td>१४००।-</td></tr> <tr><td>१७</td><td>नामसरा वि.क.</td><td>२०७४।१।१०</td><td>१४००।-</td></tr> <tr><td>१८</td><td>जमुना भुल</td><td>२०७४।१।०१२</td><td>१४००।-</td></tr> <tr><td>१९</td><td>निशा शाही</td><td>२०७४।१।०१७</td><td>१४००।-</td></tr> <tr><td>२०</td><td>लक्ष्मी खड्का</td><td>२०७४।१।०२८</td><td>१४००।-</td></tr> <tr><td>२१</td><td>पार्वति वि.क.</td><td>२०७४।१।१२७</td><td>१०००।-</td></tr> <tr><td>२२</td><td>धना राउत</td><td>२०७४।१।१४</td><td>१४००।-</td></tr> <tr><td>२३</td><td>धनि वि.क.</td><td>२०७४।१।२३</td><td>१४००।-</td></tr> </tbody> </table> | सि.न. | नाम,थर | मिति | प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान यातायात खर्च | १ | कमला उपाध्याय | २०७४।१।३२ | १४००।- | २ | मैसरा वि.क. | २०७४।१।१९ | १०००।- | ३ | रत्ना भुल | २०७४।१।४ | १४००।- | ४ | ईसरा वि.क. | २०७४।१।३ | १४००।- | ५ | महिना भण्डारी | २०७४।१।२९ | १४००।- | ६ | बिमला भुल | २०७४।१।९ | १४००।- | ७ | गौरी भण्डारी | २०७४।१।१४ | १४००।- | ८ | रंगा नेपाली | २०७४।१।११ | १०००।- | ९ | डिक्का वि.क. | २०७४।१।१४ | १४००।- | १० | नमिता वि.क. | २०७४।१।२४ | १४००।- | ११ | थुमा शाही | २०७४।१।३ | १४००।- | १२ | धन कुमारी शाही | २०७४।१।४ | १४००।- | १३ | निर्मला बली | २०७४।१।२४ | १४००।- | १४ | टंकी जनाला | २०७४।१।२२ | १४००।- | १५ | रुपा वि.क. | २०७४।१।२८ | १०००।- | १६ | दीलसरा वि.क. | २०७४।१।१४ | १४००।- | १७ | नामसरा वि.क. | २०७४।१।१० | १४००।- | १८ | जमुना भुल | २०७४।१।०१२ | १४००।- | १९ | निशा शाही | २०७४।१।०१७ | १४००।- | २० | लक्ष्मी खड्का | २०७४।१।०२८ | १४००।- | २१ | पार्वति वि.क. | २०७४।१।१२७ | १०००।- | २२ | धना राउत | २०७४।१।१४ | १४००।- | २३ | धनि वि.क. | २०७४।१।२३ | १४००।- | |
| सि.न. | नाम,थर | मिति | प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान यातायात खर्च | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | कमला उपाध्याय | २०७४।१।३२ | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | मैसरा वि.क. | २०७४।१।१९ | १०००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | रत्ना भुल | २०७४।१।४ | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | ईसरा वि.क. | २०७४।१।३ | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | महिना भण्डारी | २०७४।१।२९ | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | बिमला भुल | २०७४।१।९ | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | गौरी भण्डारी | २०७४।१।१४ | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | रंगा नेपाली | २०७४।१।११ | १०००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९ | डिक्का वि.क. | २०७४।१।१४ | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १० | नमिता वि.क. | २०७४।१।२४ | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११ | थुमा शाही | २०७४।१।३ | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२ | धन कुमारी शाही | २०७४।१।४ | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १३ | निर्मला बली | २०७४।१।२४ | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४ | टंकी जनाला | २०७४।१।२२ | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५ | रुपा वि.क. | २०७४।१।२८ | १०००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६ | दीलसरा वि.क. | २०७४।१।१४ | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १७ | नामसरा वि.क. | २०७४।१।१० | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १८ | जमुना भुल | २०७४।१।०१२ | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १९ | निशा शाही | २०७४।१।०१७ | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २० | लक्ष्मी खड्का | २०७४।१।०२८ | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २१ | पार्वति वि.क. | २०७४।१।१२७ | १०००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२ | धना राउत | २०७४।१।१४ | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २३ | धनि वि.क. | २०७४।१।२३ | १४००।- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|-------|-------------------------------------|------------|---------|---------|
| | | २४ | सवि वि.क | २०७४।१।२।४ | १४००।- | |
| | | २५ | भनसरा ठोली | २०७४।१।२।९ | १४००।- | |
| | | २६ | निर्मला भण्डारी | २०७५।१।२।३ | १४००।- | |
| | | २७ | मन्जु विष्ट | २०७५।१।२।४ | १०००।- | |
| | | २८ | मिना विष्ट | २०७५।१।२।३ | १४००।- | |
| | | २९ | उर्मिला विष्ट | २०७५।१।२।२ | १४००।- | |
| | | | जम्मा - | | ३८६००।- | |
| ५२. | बढि भुक्तानी :-आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(८) बमोजिम कुनै रकमको भुक्तानी दिदा रीत पूगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गो.भौ.न.-१०/०७४-१०-९ बाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कमलबजार लाई साधारण प्रसुती सेवा प्रदान गरे बापत प्रति प्रसुतीको अनुदान र ४२ जना प्रसुती आमालाई यातायात शुल्क समेत गरी रु. ८४०००।- दिनुपर्नेमा रु.९००००।-अनुदान बापत बैंक खातामा जम्मा गरिएको हुँदा बढी जम्मा गरेको रु.६०००।- असुल गरी संघिय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु..... | | | | | ६०००।- |
| ५३. | आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(८) बमोजिम कुनै रकमको भुक्तानी दिदा रीत पूगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गो.भौ.न. २२/०७४-१-२० बाट चाल्सा स्वास्थ्य केन्द्र लाई साधारण प्रसुती सेवा प्रदान गरे बापत प्रति प्रसुतीको अनुदान र २० जना प्रसुती आमालाई यातायात शुल्क समेत गरी रु.४००००।-दिनुपर्नेमा रु.४९०००।- अनुदान बापत बैंक खातामा जम्मा गरिएको हुँदा बढी जम्मा गरेको रु.१०००।-असुल गरी संघिय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु..... | | | | | १०००।- |
| ५४. | बढी भुक्तानी :- आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(३) बमोजिम खर्च गर्दा खर्चको बिल भर्पाई सहितको लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। गो.भौ.न -१६/०७४-१०-९ बाट टंक बहादुर भण्डारीले पूर्ण खोप गा.वि.स /न.पा. तथा जिल्ला सुनिश्चितता र दिगोपनाको लागी स्वास्थ्य संस्था प्रमुख सहित न.पा. र गा.वि.स. प्रमुख तथा वडा प्रमुखहरुको एक दिने गोष्ठी संचालन गर्नको लागी लिएको पेशकी रु.५९०००।- फछ्यौट गर्दा रु. ५७६८५।- को मात्र बिल भर्पाई संलग्न राखेकोले बिल भन्दा बढी भुक्तानी भएको रु १३९५।० र गो.भौ.न-१६/०७४-१०-९ बाट टंके बहादुर भण्डारीले सेटेलार्ड क्याम्प प.नि.ईम्पलान्ट कार्यक्रम संचालन गर्नको लागी लिएको पेशकी रु.८१०००।- फछ्यौट गर्दा रु. ७५०९८।- को मात्र बिल भर्पाई संलग्न राखेकोले बिल भन्दा बढी भुक्तानी भएको रु ५९८२।० समेत रु ७२९७।० असुल गरी संघिय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु. | | | | | ७२९७.० |
| ५५. | आन्तरिक लेखापरीक्षण वाट औल्याएका ब्यहोरा मध्ये फछ्यौट भएका ब्यहोरा हटाई बाकि ब्यहोरा निम्नानुसार कायम गरिएको छ। | | | | | |
| ५५.१. | बढि तलब भत्ता तथा ग्रेड भुक्तानी भएको निम्नानुसारको रकम सम्बन्धित वाट असुल गरी दाखिला हुनु पर्ने रु. | | | | | २७६२७.० |
| | | सि.न. | पदाधिकारी को नाम | रकम | | |
| | | १ | डा.अमृत खरेल रु | १५५९।० | | |
| | | २ | अ.हे.व. श्री जनक वोगटी | १०८२२।० | | |
| | | ३ | अ.न.मि. श्री शान्ती विष्ट | ५२८०।० | | |
| | | ४ | अ.हे.व.श्री कमला खड्का | ८४९५।० | | |
| | | ५ | ल्याव असिस्टेन्ट श्री पवन कुमार वली | १५५९।० | | |
| | | | जम्मा | २७६२७।० | | |
| ५५.२. | क्यानन प्रिन्टर रु १००००।० जिन्सी खातामा दाखिला गरेको नदेखिएकाले उक्त रकम सम्बन्धित वाट असुल गरी दाखिला हुनुपर्ने रु | | | | | १००००.० |
| ५६. | बेरुजु लगत : मन्त्रालयको मिति २०७३।१।२।५ को आर्थिक कारोबार तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको परिपत्रको दफा १७ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समाहित भएका साविकका गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाको नाममा रहेको पेशकी तथा बेरुजु अभिलेख | | | | | |

| | समायोजन भएको नगरपालिकामा कायम गरी नियमानुसार पेशकी फछ्यौट तथा बेरुजु सम्परीक्षण कार्य गर्नुपर्नेमा यस नगरपालिकामा समाहित भएका साविकका गा.वि.स. र वडा लगायत विषयगत कार्यालयको बेरुजु लगत तथा सम्परीक्षणको अभिलेख एकिन गरी अध्यावधिक नगरेकोले नगरपालिकाले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--|
| ५७. | बितीय जवाफदेहिता मूल्यांकन – पालिकाले विभिन्न ऐन, कानून एवं कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाको पालना गरी वित्तीय जवाफदेहिताको स्तर उच्च राख्नुपर्दछ । यस नगर पालिकाले लेखापरीक्षणको क्रममा कार्यसम्पादनको व्यवस्थापकीय पक्ष, वित्तीय व्यवस्थापन पक्ष, सेवा प्रवाह र खरिद व्यवस्थापन र विकास निर्माण गरी ४ मुलविषयमा केन्द्रित रही २० वटा सूचक प्रयोग गरी कार्यालयको वित्तीय जवाफदेहिताको स्तर मूल्यांकन गरीएको छ । सो मूल्यांकनमा यस कार्यालयलाई ५६ प्रतिशत अङ्कका साथ 'C' (A,B,C, Dमध्ये) ग्रेडमा ग्रेडिङ्ग गरीएको छ । आगामी वर्ष कमजोरी औल्याइएका विषयमा सुधार गरी यसमा अभिवृद्धि गर्ने तर्फ कार्यालय कृयाशील हुनुपर्ने देखिन्छ । | | | | | | | | | |
| ५८. | बेरुजु - पालिकाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रु.१५ लाख ७२ हजार, अनियमित बेरुजु रु.२५ लाख ९९ हजार, प्रमाण कागजात पेश नभएको बेरुजु रु. ४४ लाख ५९ हजार र पेशकी बाँकी देखिएको रु.५९ लाख २९ हजार समेत रु.९ करोड ३७ लाख ४३ हजार बेरुजु कायम भएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन । | | | | | | | | | |
| ५९. | अनुगमन तथा मूल्याङ्कन :स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बेरुजु फछ्यौट गर्ने व्यवस्था गरेकोमा निम्नानुसार देखिएको छ : <table border="1" data-bbox="483 869 1162 968"> <thead> <tr> <th>गत वर्षको बेरुजु रकम (रु.) (A)</th> <th>यो वर्ष फछ्यौट (B)</th> <th>बाँकी (C= A-B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१४,३८,०००/-</td> <td>०</td> <td>१४,३८,०००/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>कार्यालय वाट बेरुजु फछ्यौट नगरेको कारण संपरीक्षणको लागि पेश गरेको छैन ।</p> | गत वर्षको बेरुजु रकम (रु.) (A) | यो वर्ष फछ्यौट (B) | बाँकी (C= A-B) | १४,३८,०००/- | ० | १४,३८,०००/- | | | |
| गत वर्षको बेरुजु रकम (रु.) (A) | यो वर्ष फछ्यौट (B) | बाँकी (C= A-B) | | | | | | | | |
| १४,३८,०००/- | ० | १४,३८,०००/- | | | | | | | | |
| ६०. | अद्यावधिक बेरुजु स्थिति : यस नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४।७५ सम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी बेरुजु स्थिति देहाय अनुसार रहेको छ : <table border="1" data-bbox="277 1079 1370 1192"> <thead> <tr> <th>गत वर्षसम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी (रु.) (C)</th> <th>यो वर्षको सं प.वाट कायम बेरुजुरु. (D)</th> <th>यो वर्षको कायम बेरुजुरु. (E)</th> <th>बाँकी (F= C+D+E)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१४,३८,०००/-</td> <td>०</td> <td>१,३७,४२,५४२/९२</td> <td>१,५१,८०,५४२/९२</td> </tr> </tbody> </table> <p>उल्लेखित बेरुजुहरु यस नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४, ऐन नं.२ बमोजिम फछ्यौट गर्न बाँकी सम्पूर्ण असुल फछ्यौट गरिनुपर्दछ ।</p> | गत वर्षसम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी (रु.) (C) | यो वर्षको सं प.वाट कायम बेरुजुरु. (D) | यो वर्षको कायम बेरुजुरु. (E) | बाँकी (F= C+D+E) | १४,३८,०००/- | ० | १,३७,४२,५४२/९२ | १,५१,८०,५४२/९२ | |
| गत वर्षसम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी (रु.) (C) | यो वर्षको सं प.वाट कायम बेरुजुरु. (D) | यो वर्षको कायम बेरुजुरु. (E) | बाँकी (F= C+D+E) | | | | | | | |
| १४,३८,०००/- | ० | १,३७,४२,५४२/९२ | १,५१,८०,५४२/९२ | | | | | | | |

कमलवजार नगरपालिकाको बेरुजू बर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)
२०७४।७५

(रु.हजारमा)

| सि(न) | जिल्ला | स्थानीय तहको नाम | प्रारम्भिक बेरुजू | | | प्रतिक्रियावाट फछ्यौट | | | वाँकी बेरुजू | | | वाँकी बेरुजू | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|-------------------|------|-------|-----------------------|------|-----|--------------|------|-------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-------|--------|------|-------|
| | | | दफा स)ख्या | | रकम | दफा स)ख्या | | रकम | दफा स)ख्या | | रकम | अशुल गनुपने | नियमित गनुपने | | | | | | | |
| | | | सैदान्तिक | लगती | | सैदान्तिक | लगती | | सैदान्तिक | लगती | | | अनियमित भएको | प्रमाण कागजात पेश नभएको | राजस्व लगत जिम्मेवारी नसारेको | सोधभना नलिएको | जम्मा | कमचारी | अन्य | जम्मा |
| १. | अछाम | कमलवजार न.पा. | ४४ | २३ | १३७४३ | | | | ४४ | २३ | १३७४३ | १५७२ | २५९१ | ४४५१ | ० | ० | ८६१४ | ० | ५१२९ | ५१२९ |
| | | जम्मा | ४४ | २३ | १३७४३ | | | | ४४ | २३ | १३७४३ | १५७२ | २५९१ | ४४५१ | ० | ० | ८६१४ | ० | ५१२९ | ५१२९ |

स्थानीय तह सञ्चित कोष विवरण
२०७४।७५

(रु.हजारमा)

| क्र. सं. | स्थानीय तह | जिल्ला | आय | | | | जम्मा आय | व्यय | | | | मौज्दात |
|----------|---------------|--------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------|----------|-----------|--------------|-----------|------------|---------|
| | | | गत वर्षको जिम्मेवारी | समानीकरण अनुदान | सशर्त तथा अन्य बजेट अनुदान | अन्य आय | | चालु खर्च | पूँजीगत खर्च | अन्य खर्च | जम्मा खर्च | |
| | | | १ | २ | ३ | ४ | | ५ (२+३+४) | ६ | ७ | ८ | |
| १. | कमलवजार न.पा. | अछाम | १६१४१ | १२३७६३ | २६७५०० | ४७३६ | ३९५९९९ | २५८५५ | १५६८२५ | १९२२९६ | ३७४९७६ | ३७९६४ |
| | | जम्मा | १६१४१ | १२३७६३ | २६७५०० | ४७३६ | ३९५९९९ | २५८५५ | १५६८२५ | १९२२९६ | ३७४९७६ | ३७९६४ |